खण्ड–9, अंक–3
सोमवार, 26 ज्येष्ठ, शक संवत् 1925
(16 जून, 2003 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

393

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

ल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
गोपेश्वर पशुलोक में गायों की नीलामी रोकने की नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	1–2
प्रश्नोत्तर	2–32
प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न न उठाये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	32–33
ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ धाम तक बन रही डबल लेन निर्माणाधीन सड़क का कार्य अवकाश के दिनों में भी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत हिंबल घाटी क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण की दिशा में जलागम प्रबन्धन कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33–34
कर्णप्रयाग में स्थान भटोली के निर्माणाधीन ऐलोपैथिक चिकित्सालय की क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
लक्सर के खानपुर विकास खण्ड में सौलानी नदी की 130 हेक्टेयर भूमि मछुआ (कश्यप) जाति को पट्टे में दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जनपद रुद्रप्रयाग में जीर्ण–शीर्ण पर्यटक आवास गृह को ग0म0वि0 निगम के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35–36
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	36
पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के ग्राम भूमियाकीसार (कसाण) को अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में याचिका... ...	36
दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की सूचना पर मा0 अध्यक्ष का निर्णय	36–37
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	37–38
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	38–48
वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	48–66
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	66

विषय	पृष्ठ संख्या
टिहरी गढ़वाल में दिनांक 29 मई, 2003 को घनसाली–अमोढ़ी मोटर मार्ग पर बस दुर्घटना पर श्री बलबीर सिंह नेगी, मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य ...	69
मा0 सदस्य श्री अजय भट्ट द्वारा राज्य में मान्यता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	69–70

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा देवी
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौलदास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14–श्री गोपाल सिंह राणा
15–श्री गोविन्द लाल
16–श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17–श्री चन्द्रशेखर
18–श्री जोत सिंह
19–श्री तसलीम अहमद
20–श्री तिलक राज बेहड़
21–श्री तेजपाल सिंह रावत
22–श्री दिनेश अग्रवाल
23–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24–श्री नारायण दत्त तिवारी
25–श्री नारायण पाल
26–श्री नारायण राम आर्य
27–श्री नारायण सिंह जंतवाल
28–काजी निजामुद्दीन
29–श्री प्रकाश पंत
30–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31–डॉ0 प्रताप बिष्ट
32–श्री प्रदीप टम्टा
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रीतम सिंह पंवार
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री फूल सिंह बिष्ट
37–श्री बलबीर सिंह नेगी
38–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
39–श्री भगत सिंह कोश्यारी
40–श्री मदन कौशिक
41–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
42–श्री महेन्द्र भट्ट
43–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
44–श्री मातबर सिंह कण्डारी
45–श्री मालचन्द्र
46–चौधरी यशवीर सिंह
47–श्री रणजीत सिंह
48–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49–श्री राम प्रसाद टम्टा
50–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
52–श्री शूरवीर सिंह
53–श्री शहजाद
54–श्री साधू राम
55–श्री सुबोध उनियाल
56–श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल
57–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58–श्री सुरेश चन्द जैन
59–डॉ0 हरक सिंह रावत
60–श्री हरवंस कपूर
61–श्री हरभजन सिंह चीमा
62–श्री हरिदास
63–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64–श्री हीरा सिंह बिष्ट
65–श्री हेमेश खर्कवाल
66–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 16 जून, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभामण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

गोपेश्वर पशुलोक में गायों की नीलामी रोकने की नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के एक साथ खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, गोपेश्वर में 300 गायें कटने हेतु नीलाम हो रही है। हमारी इस सूचना को 311 में सुन लिया जाये, यह गम्भीर मामला......... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा होनी है, उस समय आप अपनी बात को कहिये। यह नियम 311 में नहीं आता है। कृपया अपनी सीट पर बैठिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल देव भूमि है, यहाँ पर चार धाम हैं, यह पवित्र भूमि है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए यह मुद्दा बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए, इसे नियम 56 में सुन लीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह गायों का मामला है, इसे नियम 56 में सुन लिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायें, मेरा अनुरोध स्वीकारिये।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में समाचार–पत्र में पढ़ा, उसी दिन मैंने टेलीफोन से और लिखित रूप से भी यह आदेश दे दिये कि किसी प्रकार से कोई गाय नीलाम नहीं होनी चाहिए। यह बात मेरे पास आयी थी, इस प्रकार जो पुरानी, बूढ़ी गौ माता हैं और अक्षम हो गई हैं, उन्होंने कहा कि हमने पशु लोक बनाया है, उनकी सुरक्षा के लिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने निर्देश दिये थे। नीलामी का जो 7 तारीख को पत्र आया था.........

श्री अध्यक्ष–

लंच आवर में मुझसे बात कर लें, इसको देख लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, ठीक है, आज आदेश कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, आदेश दिये जाने के बाद यह नीलामी होनी ही नहीं चाहिए। उस दिन प्रक्रिया में कहीं कमी रही है। यहाँ पर दीर्घा में बैठे हमारे उच्च अधिकारी हैं, वह अभी जाकर उसे रुकवायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसके लिए हम आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं।

प्रश्नोत्तर

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मितव्ययता लाने हेतु सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण

*1–काजी निज़ामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा मितव्ययिता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

क्या सरकार प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

वित्तीय प्रबन्धन के प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

सरकारी वाहनों के निजी प्रयोग पर नियमानुसार निर्धारित धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

नियंत्रण की व्यवस्था पहले से ही लागू है।

काजी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2001–2002 में तथा

वर्ष 2002–2003 में कितनी राजस्व वसूली की गई है ? सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक राज्यमंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा बहुत अच्छा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वित्तीय प्रबन्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में प्रारम्भ के पृष्ठों में इस बात का उल्लेख किया गया है, जो कम से कम 4 पृष्ठों का है। माननीय सदस्य का प्रश्न, जो 2001–2002 में तथा 2002–2003 में राजस्व वसूली से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि वे चाहेंगे तो विभागवार भी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है और यदि वे चाहें तो जिलेवार भी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के लिए बहुत ही प्रभावी कदम उठाये गये हैं। किसी भी सरकारी वाहन का प्रयोग निजी कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आकस्मिक कार्य के लिए किसी को आवश्यकता होती है तो उससे पैसा वसूली किया जाता है। वर्ष 2001–2002 में अट्ठाईस लाख बाईस हजार एक सौ बावन रुपये की वसूली की गई। वर्ष 2002–2003 में तैंतीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ तिरानबे रुपये का राजस्व लाभ हुआ है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मितव्ययिता का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्रीगणों के भत्तों की कोई सीमा निर्धारित की गई है ? माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस माननीय सदस्य ने सबसे ज्यादा भत्ता लिया है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वित्तीय प्रबन्धन के मामले में विश्व के चन्द लोगों में सबसे अच्छा ज्ञान है। जैसे ही हमारा मंत्रिमण्डल बना हर सदस्य को मितव्ययिता के निर्देश उनके द्वारा दिये गये। यदि आप उनके द्वारा दिये गये निर्देशों को अपनी पार्टी में भी लागू करना चाहते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो गोलमोल जवाब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न विषय से हटकर है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न भी इसी से कुछ मिलता–जुलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्रियों के लिए कितनी गाड़ियाँ खरीदी गयी तथा इस वित्तीय वर्ष में मंत्रियों के तेल पर कितना खर्चा आया, सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है। हमारी सरकार का मानना है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुचिता.......... (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी विषय से हटकर बोल रहे हैं। बजट भाषण दोहराने से बात बनने वाली नहीं है। कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ, अपने युवा सदस्य काजी निजामुद्दीन का तथा सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अनुपूरक प्रश्न किया है। मैंने अपने बजट भाषण के शुरू के 4–5 पृष्ठों में वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख किया है। आज इस तरह की तमाम मांगे आ रही हैं, जिनको किसी भी सरकार द्वारा पूरा कर पाना संभव नहीं है। मैं नेता विरोधी दल के विद्वतापूर्ण भाषण की आज प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वित्तीय घाटे पर कैसे नियंत्रण करें तथा इसको कैसे पूरा करें, इस सम्बन्ध में कुछ अच्छे सुझाव आयेंगे। मान्यवर, एक तरफ तो आप मंत्रियों के दौरे की मांग करते हैं, जब दौरे होंगे तो तेल खर्चा होना स्वाभाविक ही है। मैं समझता हूँ आज ऐसा कोई नहीं होगा जो दौरा अपनी जेब के पैसों से करे। किस मद में कितना खर्चा हुआ, स्पष्ट रूप से बजट साहित्य में सारा विवरण है।

मान्यवर, बजट में वित्तीय प्रबन्धन के सैकड़ों अंग होते हैं। उनमें से एक अंग यह भी है कि मंत्रियों का भत्ता कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायकगण इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछ लें तो ठीक है।

तारांकित प्रश्न

राज्य की चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य एवं उसका भुगतान

*1–श्री मदन कौशिक, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं चौ0 यशवीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य का कितना धन बकाया है ?

क्या सरकार बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र ही करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 31–05–2003 तक बकाया मूल्य रुपये 190.61 करोड़ है। सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर कुल रुपये 102.88 करोड़ तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कुल रुपये 87.72 करोड़ बकाया है।

जी हाँ।

गन्ना मूल्य भुगतान सरकार की प्राथमिकता है, जिसका भुगतान शीघ्र कराने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में चीनी उद्योग की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को वस्तु–स्थिति से अवगत कराते हुए रुपये 84 करोड़ की मांग की गई है। इसके साथ ही चीनी मिलों में वर्तमान में उपलब्ध चीनी के स्टॉक को बेचने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि किसानों का 190.61 करोड़ रुपया बकाया है। यह 31 मई, 2003 तक का है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह किस वित्तीय वर्ष का बकाया है? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि किसानों का जो रुपया 190.61 करोड़ बकाया है, क्या सरकार ब्याज सहित किसानों को वापस करेगी, यदि करेगी तो कितना प्रतिशत ब्याज देगी ?

गन्ना मंत्री (श्री साधूराम)–

मान्यवर, यह बकाया इसी वित्तीय वर्ष का है और ब्याज की प्रथा तो है ही नहीं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, गन्ना विकास अधिनियम, 1953 में स्पष्ट प्राविधान है कि 15 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसकी प्रथा नहीं है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों के बकाये का भुगतान कब तक हो जायेगा और ब्याज कितना देंगे?

श्री साधूराम–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों के भुगतान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हम यथाशीघ्र भुगतान करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ब्याज कितना देंगे ?

श्री साधूराम–

मान्यवर, पहले मूल तो दे दें, ब्याज बाद में देखेंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है, बड़े [xxx] की बात है।

(व्यवधान)

पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है, तो असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यदि [xxx] असंसदीय शब्द है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि इनको किसी भी बात में [xxx] नहीं आती। मान्यवर, [xxx] कहाँ असंसदीय शब्द हो गया। किसान का मामला है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रथा नहीं है। मान्यवर, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

[xxx] शब्द असंसदीय है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। कृपया प्रश्न करें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि 190.61 करोड़ रु0, 102.88 करोड़ रु0 तथा 87.72 करोड़ रु0 बकाया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर इस बकाया राशि को कैलकुलेट किया गया है ?

श्री साधूराम–

मान्यवर, ये जो सहकारी और निगम क्षेत्र की मिलें हैं उनको 95 रु0 प्रति कुन्तल की दर से कैलकुलेट करके हमने बताया और जो प्राइवेट, निजी क्षेत्र की मिलें हैं, उनको 80 के हिसाब से बताया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो 190 करोड़ रु0 हैं, यह भी कम दिया है। यदि 95 रु0 के हिसाब से देंगे तो निश्चित रूप से 125–130 करोड़ रु0 बढ़ जायेंगे। इसका अर्थ यह है कि या तो माननीय मंत्री जी को सही जानकारी नहीं है, या सदन को गुमराह किया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि गन्ना का और भी रुपया बकाया है और जो कहा जा रहा है कि 190 करोड़ रु0 देना है तो 190 करोड़ रु0 किसानों को देना बाकी है। हम लोग अपनी तनख्वाहें ले लेते हैं, टी0ए0, डी0ए0 ले लेते हैं, अपनी सुख–सुविधाएँ ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की कोई चिन्ता नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि यह प्रश्नकाल है।

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

मनेरी भाली परियोजना से प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को सेवायोजित करने विषयक

*2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि मनेरी भाली परियोजना हेतु जिन परिवारों की भूमि अधिगृहित की गई थी, उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दिये जाने पर सहमति बनी थी ?

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यदि हाँ, तो अब कितने परिवार के सदस्यों को नौकरी दी गयी ?

तथा अवशेष को कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मनेरी भाली परियोजना हेतु जिन परिवारों की भूमि अधिगृहित की गयी थी, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने पर कोई सहमति नहीं बनी थी।

यद्यपि नौकरी देने हेतु कोई सहमति नहीं दी गयी थी फिर भी मनेरी भाली परियोजना में 8 व्यक्ति नियमित अधिष्ठान में, 19 व्यक्ति कार्यप्रभारित अधिष्ठान में व 11 व्यक्ति दैनिक वेतनभोगी अधिष्ठान में, इस प्रकार कुल 38 भूमि अधिगृहित परिवारों के सदस्यों को पूर्व में नौकरी प्रदान की गई है।

अवशेष परिवारों के सदस्यों को सेवायोजित किये जाने की कोई योजना नहीं है। सिंचाई विभाग में पहले से ही स्टॉफ सरप्लस है। जिनका समायोजन किया जाना है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ही कार्यप्रभारित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण भी सरप्लस स्टॉफ एवं कार्य के अनुरूप अतिरिक्त पदों की आवश्यकता न होने के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः नया सेवायोजन करना राजकीय हित में नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण जिन परिवारों की गयी थी, उनके साथ कोई सहमति नहीं बनाई गयी थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या जो 38 लोग, जिनको रोजगार दिया गया, वे किस सहमति के आधार पर लगाए गए हैं? जिनको मौखिक सहमति के आधार पर मस्टर रोल में रोजगार दिया गया है, उसमें से कुछ लोगों को हटाया गया। उनमें से कुल कितने लोग थे जिनको हटाया गया? बाद में वे श्रम न्यायालय गए और वहाँ से उनके पक्ष में आदेश पारित हुआ, रोजगार देने के लिए। वे कुल कितने लोग थे जिनको रोजगार दिया गया ? कुल कितने लोगों को घर बैठे मानदेय दिया जा रहा है और कब से दिया जा रहा है ? मान्यवर, रु0 570 व रु0 817 रु0 जो घर बैठे मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, वह कितने लोगों को दिया जा रहा है ? कब से दिया जा रहा है और अब तक कितनी धनराशि दी गयी ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, जिस समय मनेरी भाली परियोजना बन रही थी, उस समय जितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति कर ली गयी थी, उसके ही अनुसार 38 व्यक्तियों की पूर्ति की गयी लेकिन इस समय वर्तमान में मनेरी भाली परियोजना में ऐसी परिस्थिति नहीं है और न ही व्यक्तियों की आवश्यकता है इसलिए नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लेबर वर्क है, उसमें आज भी 500 व्यक्तियों को जो स्थानीय हैं, को रोजगार दिया गया है। जैसे कि मिट्टी ढोना, रेता उठाना आदि।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जो अभी माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है, वह बिल्कुल असत्य है। मैं वहीं का स्थानीय निवासी हूँ और वहीं का विधायक भी हूँ। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ के स्थानीय लोगों को मजदूरी पर भी कार्य नहीं करवाया जा रहा है। 570 रु0 व 817 रु0 जो घर बैठे मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, जिसकी सहमति बनी, वे कितने लोग हैं, उनको कुल कितनी धनराशि दी गयी ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 500 व्यक्तियों को वहाँ पर रोजगार दिया गया है, जिसकी मैं सूची उपलब्ध करा दूँगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी करके नहीं आयी हैं, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसाकि माननीय सदस्य ने प्रश्न स्थगित करने की बात कही है, यह उनका विशेषाधिकार है। आज सौभाग्य से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मान्यवर, प्रश्न की मूल भावना यह है कि हमारे यहाँ जो सार्वजनिक हित में जितनी परियोजनाएँ या उद्योग लगते हैं, उनमें स्थानीय काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है, बिना अधिग्रहण के यह हो भी नहीं सकता। यह समस्या केवल मनेरी भाली परियोजना की ही नहीं है और बहुत सी परियोजनाएँ हैं जिनमें किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, कृपया मूल प्रश्न पर बोले।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो भी यह समस्या है, वह तब उठती है जब परियोजनाएँ बनती हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश व देश का हित होता है लेकिन उन लोगों का जिनकी भूमि इनमें अधिग्रहीत की जाती है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई नीतिगत फैसला सरकार लेने जा रही है कि जहाँ भी हमारी ऐसी परियोजनाएँ बनेंगी जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों की भूमि अधिग्रहीत होगी तो उदारतापूर्वक सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के साथ–साथ रोजगार देने की व्यवस्था भी करेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह नियम था कि यदि किसी कृषक की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहीत की जाती थी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है, आज की वर्तमान परिस्थितियों में सिंचाई विभाग में सरप्लस कर्मचारी हैं जिस कारण नये लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अगर हम नये लोगों को नौकरी देंगे तो हमारे अपने कर्मचारी बेकार हो जायेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने इस परियोजना के बारे में नहीं कहा है। मेरा तो नीतिगत प्रश्न है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अभी ऐसी नीति नहीं बनी है। सन् 98 का शासनादेश भी है कि कोई भी अगर ऐसी परियोजना बनती है तो उसमें इस आधार पर नहीं रखा जाये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो उत्तर में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत हुई है, उनको नियुक्ति देने का कोई प्राविधान नहीं है। दूसरी ओर माननीय मंत्री जी ने कहा कि 38 लोगों को हमने नौकरी दी है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी जिन लोगों को आपने नौकरी नहीं दी है, क्या सरकार उनके साथ न्याय करेगी, क्या उनको नौकरी देगी या नहीं ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, इन 38 लोगों को सन् 81 में नौकरी दी गई थी। अब जब हमारे पास पहले से ही सिंचाई विभाग के कर्मचारी सरप्लस हैं तो नये व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती है। यदि किसी परियोजना में 10 हजार लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है तो सभी 10 हजार लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों में कटौती तथा योजनागत व्यय का पूर्ण सदुपयोग

*3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चों में 10% कटौती तथा योजनागत व्यय का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वास्तविक आवश्यकता के अनुमान के आधार पर प्रशासनिक खर्चों के लिए बजट प्राविधान कराया जाता है। योजनागत व्यय का अनुश्रवण एवं समीक्षा जिला, मण्डल, विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर पर यथावश्यकता एवं यथासंदर्भ की जा रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चों में 10 प्रतिशत कटौती तथा योजनागत व्यय का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वास्तविक आवश्यकता के अनुमान के आधार पर प्रशासनिक खर्चों के लिए बजट प्राविधान कराया जाता है। योजनागत व्यय का अनुश्रवण एवं समीक्षा जिला, मण्डल, विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर पर यथावश्यकता एवं यथासंदर्भ की जा रही है। मान्यवर, इसमें मूल प्रश्न का तो उत्तर आया ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में 10 प्रतिशत कटौती के लिए कौन–कौन से

कदम उठाये हैं और मेरा दूसरा प्रश्न है कि योजनागत मद में जितनी धनराशि आवंटित की गई थी, क्या उसका सदुपयोग हो पाया है, कोई धनराशि लैप्स तो नहीं हुई ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार कई कदम उठा रही है। प्रशासनिक खर्चों में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है। विभागीय ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। विभागों को एक तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। निगमों की संख्या कम की जा रही है, निगमों को बहुउद्देशीय निगम बना रहे हैं और इस तरह के कई कदम हम उठाने जा रहे हैं। मेरी समझ में तो यह नहीं आया कि मा0 सदस्य ने मात्र 10 प्रतिशत की बात क्यों की, हम तो उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। हम भी यह मानते हैं कि प्रशासनिक खर्चों में व्यय ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी मैंने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक खर्चों को कम करने का सरकार प्रयास कर रही है। यह महत्वपूर्ण बात है कि योजना का योजनागत व्यय निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। पिछले वर्ष में हमारे सामने कई परेशानियाँ थीं। पहले तो यह था कि जो हमारा ऐनुअल प्लान सेक्शन बहुत बाद में हुआ, सितम्बर में यह स्वीकृत हुआ है। पिछला एक साल तो चुनाव में ही चला गया। यदि आपने मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पढ़ा होगा तो उसके पृष्ठ 74 में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए और मंत्री जी तो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर स्पेसिफिक होना चाहिए, जो मूल प्रश्न है, उसका सीधा उत्तर आना चाहिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं उसका ही उत्तर दे रहा हूँ। जब तक महालेखाकार की रिपोर्ट नहीं आ जायेगी, तब तक हम सदन में यह कैसे बता सकते हैं ? जैसे ही महालेखाकार की रिपोर्ट आ जायेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, ऐसे उत्तर देकर मा0 मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। हर विभाग की मासिक रिपोर्ट होती है, उसे माननीय मंत्रीगण देखते भी होंगे। पहले यह रिपोर्ट प्रदेश में आती है। वर्ष भर में क्या हुआ, यह तो मार्च में आ जाना चाहिए, अब तो जून आ गया है।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने 10 प्रतिशत की बात कही है तो वह यह बतायें कि वह कितना करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वह 50 प्रतिशत कर दें। हम उनके आभारी रहेंगे। तो आपने इसके लिए क्या–क्या कदम उठाये हैं, और आपने किस–किस विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया है, और आपने किन–किन निगमों को घटा दिया है ? मैं तो कहता हूँ कि आपने निगमों की

संख्या को बढ़ा दिया है। विभागीय ढांचे की बात है तो आपने किन विभागों का एकीकरण किया है? मैंने स्पष्ट पूछा है कि योजनागत व्यय में आपने कितना पैसा आवंटित किया था और क्या पूरे वर्ष में सारे पैसे का व्यय हो गया या कोई धनराशि अवशेष है ?

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में तीन बातें कही। मैंने कहा कि कुछ में काम चल रहा है और कुछ में काम पूरा हो गया है तथा योजनागत व्यय के लिए हमने बजट में व्यवस्था की है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि लैप्स हुआ या नहीं ?

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, उन्हें शासन का भी अनुभव रहा है, उन्होंने स्वयं भी कई बार ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न लगाया होगा, तब बजट भाषण उपलब्ध नहीं था। जब मैंने बजट के वॉल्यूम्स का उल्लेख किया था, तो उसमें इस प्रश्न का उत्तर मौजूद है। मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत ही अध्ययनशील हैं, इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया बजट के वॉल्यूम्स का अध्ययन करें। उसमें इससे अधिक व्यय का उल्लेख मिल जाएगा। मान्यवर, हर सरकार का यह प्रयास होता है कि योजनागत व्यय अधिक हो। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसे प्रयास किए थे। हम तो आप ही के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, माननीय सदस्य तो आप ही के चरण चिन्हों पर नहीं चलते, हमारे चरण चिन्हों पर कहाँ चलेंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी-

मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि "वर्ष 2001-2002 में लगभग रु0 765 करोड़ के आयोजनागत व्यय के सापेक्ष, वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार, लगभग रु0 1910 करोड़ का व्यय अनुमानित है।" इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित है कि वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक अनुमानों में प्रदर्शित रु0 1567 करोड़ राजस्व घाटे को पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर रु0 1193 करोड़ तक सीमित किया गया है। मान्यवर, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्र सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने नैनीताल में हमें बहुत सहयोग प्रदान किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। मेरा अनुरोध है कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बजट के सम्बन्ध में अपने विचार रखेंगे तो मैं उनके प्रश्नों का उत्तर अपने भाषण में देने का प्रयास करूँगा। अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब यह सवाल पूछा गया था, तब बजट उपलब्ध नहीं था।

*4-श्री अजय भट्ट-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

उत्तरांचल में गढ़वाली–कुमाऊँनी लोक भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन और विकास हेतु नीति निर्धारण

*5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की पहचान गढ़वाली कुमाऊँनी लोक भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन और विकास के लिए सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यद्यपि गढ़वाली कुमाऊँनी लोक भाषाओं (बोलियों) के संरक्षण, उन्नयन एवं विकास के लिये कोई निर्धारित नीति तैयार नहीं की जा सकी है, तथापि उत्तरांचल की इन बोलियों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा पर्यटन विभाग के सहयोग से सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा, उत्तरांचल उत्सव, दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली, बदरी–केदार उत्सव, पर्यटन कान्क्लेव, मसूरी सहित उत्तरांचल में विभिन्न अवसरों एवं मेले एवं त्यौहारों में लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत आदि का प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल में एक नोडल संस्था के रूप में साहित्य कला परिषद् की स्थापना हेतु भी कार्यवाही की जा रही है। इस संस्था के गठन के उपरांत उत्तरांचल में सांस्कृतिक परम्परा, स्थानीय बोलियों का विकास, लोक साहित्य का विकास आदि विषयों को भी समेकित ढंग से विकसित करने में सहयोग प्राप्त होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि गढ़वाली, कुमाऊँनी लोक भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन एवं विकास के लिए नीति क्यों नहीं निर्धारित की गई, क्या कभी निर्धारित की जायेगी ? इसके क्या कारण रहे कि अभी तक नहीं की जा सकी है ? दूसरा जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा, उत्तरांचल उत्सव के रूप में किया था, उसमें गढ़वाली, कुमाऊँनी लोक नृत्य और जो संस्कृति वहाँ पर दिखायी गई थी, उसमें किस तरह परिधानों का चित्रण किया गया था ? वहाँ पर किस तरह से उत्तरांचल की लोक संस्कृति का परिचय दिया गया था ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं, इसमें साहित्य कला परिषद् का गठन प्रस्तावित है जिसमें इस बजट में 15 लाख रुपये का प्राविधान कर दिया गया है, इसके अन्तर्गत सभी का समावेश होगा। परिषद् का कार्यालय बनेगा, इसके उद्देश्य के अन्तर्गत साहित्य और कला का विकास तथा साहित्यकारों एवं कलाकारों से समन्वय स्थापित कर भाषा, बोली, संगीत, नृत्य नाटक, ललित कला, सृजनात्मक साहित्य का प्रकाशन। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान

देकर उनसे इस क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करना। साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों, कला से सम्बन्धित बैठकों, प्रदर्शनी कार्यक्रमों आदि का आयोजन, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला, नाटकों, ललित कलाओं के क्षेत्र से जुड़े तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान से सम्बन्धित विद्वानों को पुरस्कृत करना, साहित्य, संस्कृति, कला में नये-नये कार्यों का सम्पादन तथा साहित्य, संस्कृति को मनोरंजन की चिरपरिचित सीमा से उठाकर इसे एक ठोस आयाम देना, इन सबका इसमें समावेश किया जायेगा। आपने पूछा सूरजकुंड मेले के सम्बन्ध में, मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखने गई थी, उसका जो प्रारम्भिक गेट है, गेट पर ही उत्तरांचल की सांस्कृतिक तस्वीर परिलक्षित होती है। किस प्रकार से हमारे पूजा-पाठ होते हैं तथा अर्पण की झलक भी दिखायी देती है। वहाँ के भोजन, सभी प्रकार के व्यंजन, कैसे पूजा पाठ होती है। किस तरह से अतिथियों का स्वागत और सम्मान करते हैं, इस तरह का कलात्मक चित्रण भी था। उन्होंने गढ़वाली प्रदर्शनी भी लगवायी थी।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, माननीया मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह उत्तर कम भाषण अधिक है। कृपया इस पर ध्यान दें। मान्यवर, हमारे पास लोक कला, लोक संस्कृति और लोक नृत्य एवं लोक वाद्य यंत्र हैं। क्या आप इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उत्तराखण्ड महाविद्यालय में जिसमें हारमोनियम, तबले आदि के प्रशिक्षण की तो व्यवस्था है लेकिन जो हमारे अपने वाद्य यंत्र हैं तथा लोक नृत्य जैसे हुड़का, ढोल, दमाऊ तथा मश्क बीन आदि के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है ? इस सम्बन्ध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा साहित्य कला परिषद् की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। उसमें उत्तरांचल की समस्त कलाओं को समाहित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के सभी वाद्य यंत्र जो लुप्त होते जा रहे हैं तथा जिनका संरक्षण नहीं हो पा रहा था, उनके शोध का कार्य भी वहाँ पर होगा।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का गठन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। क्या भविष्य में गढ़वाली कुमाऊँनी भाषा को मान्यता देने के लिए सरकार में कोई विचार चल रहा है ? यहाँ की भाषा और बोली को संरक्षण देने हेतु कोई योजना हमारे विभागों में चल रही है ? क्या पर्यटन विभाग इस सम्बन्ध में कोई योजना बना रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, विचार ही नहीं चल रहा है बल्कि प्रस्ताव बन चुका है। इसके अन्तर्गत संगीत, नृत्य, ललित कला तथा समस्त उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना तथा सांस्कृतिक आचरण का समावेश है। यह मेरे पास कई पृष्ठों का है। इसलिए मैं यहाँ पर इसका विस्तृत उल्लेख नहीं कर रही हूँ। दूसरा प्रश्न बोली के बारे में है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बारे में हम लोग मिल-बैठकर के सर्वदलीय बैठक में ही इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसका निस्तारण भी आपस में बैठकर के ही हो सकता

है। उत्तरांचल में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। यह बहुत व्यापक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल्के–फुल्के ढंग से न लेकर नीतिगत निर्णय लेने होते हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भाषा संस्थान की स्थापना की जायेगी।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जो उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है, यह बिल्कुल मूल प्रश्न से परे है। आपका कहना है, विभिन्न जातियाँ यहाँ निवास करती हैं, यह बात बिल्कुल सही है। मान्यवर, उत्तरांचल में मूल रूप से गढ़वाली और कुमाऊँनी रहते हैं, इसलिए उनकी भाषा को मान्यता देना आपका परम कर्तव्य है। मान्यवर, जब उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है तो गढ़वाली और कुमाऊँनी भाषा को क्यों नहीं मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न विषय से हटकर है।

*6–श्री सुरेश चन्द जैन–

प्रथम शुक्रवार के तारा0 9 में स्था0 के फलस्वरूप उत्तरित।

जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में अघोषित विद्युत कटौती

*7–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति में अघोषित कटौती की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इस अघोषित विद्युत कटौती के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार जनहित में अघोषित विद्युत कटौती से जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों को मुक्त करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद हरिद्वार में ग्रामीण अंचलों में औसतन 20 घंटे प्रतिदिन की आपूर्ति हो रही है। तकनीकी या प्राकृतिक व्यवधान के कारण विद्युत आपूर्ति कभी–कभी बाधित हुई है। ऐसी कमियों को दूर किया जा रहा है।

तकनीकी या प्राकृतिक व्यवधान होने के कारण कभी–कभी आपूर्ति में बाधा आ जाती है तो उसे यथाशीघ्र दूर कर दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में औसतन 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। मान्यवर, यह सत्यता से परे है, यदि इसका अनुश्रवण किया जाय तो किसी–किसी स्थान पर मुश्किल से 14–15 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। विद्युत पारेषण में भी निरंतरता नहीं है। कभी वोल्टेज हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है, जिसके कारण लोगों के फ्रिज, टेलीविजन, बिजली के मोटर आदि जल जाते हैं। इस बारे में बार–बार अनुरोध करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हरिद्वार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 14–15 घंटे बिजली आ रही है। जबकि ग्रामीण शेड्यूल के अन्तर्गत 8 घंटे बिजली दी जाती है। मान्यवर, जहाँ तक विद्युत पारेषण का प्रश्न है तो आजकल आंधी, तूफान, अत्यधिक वर्षा आदि के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। मान्यवर, हम इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, अक्सर देखने में आता है, कटौती हो जाती है, जिससे खेती आदि के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ विद्युत कटौती के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए, जिससे लोग अपना कार्य सुगमतापूर्वक सम्पादित कर सकें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, हमारे माननीय विधायक जी ने यहाँ पर चिन्ता जाहिर की कि उसमें लोड कम आता है, मशीनें जल जाती हैं और पानी की समस्या होती है, तो निश्चित रूप से समस्यायें हैं। लेकिन उसका कारण इसलिए भी है कि लोगों ने अपने घरों में मीटर से कनेक्शन नहीं लिये हैं और इससे लोड ट्रान्सफार्मर में पड़ता है और ट्रान्सफार्मर में जब अधिक लोड पड जाता है तो वह ट्रान्सफार्मर जल जाता है। मान्यवर, किसानों को मीटरों में कैपेसीटर लगाना चाहिए।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, क्या विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि लोगों को कैपेसीटर लगाना चाहिए।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अन्य राज्यों में इसका प्राविधान है, अभी उत्तरांचल में इसका प्राविधान नहीं है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, एच0वी0–1, एच0वी0–2 और अरबन के आधार पर विद्युत पारेषण किया

जा रहा है। मान्यवर, गाँवों में बल्ब की रोशनी बहुत कम है, लोग उसमें खाना तक ठीक से नहीं खा पाते हैं। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आपके चीफ सेक्रेटरी या आप खुद जाकर वहाँ की स्थिति को देखें तो स्पष्ट हो जायेगा।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में रेग्यूलर बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। मान्यवर, आपने कैपेसीटर की बात कही, तो आप बतायें कि आपके यहाँ कितने कैपेसीटर हैं। मान्यवर, ज्यादातर कैपेसीटर तो खराब पड़े हुए हैं। मान्यवर, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे रेग्यूलर बिजली की सप्लाई की जाए, तो भी ठीक है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस ओर सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्यायें हैं, इसके लिए ए0पी0डी0आर0पी0 की मदद से काम कर रहे हैं। मान्यवर, इसके लिए अभी तक 180 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो गई है और इसमें केवल हरिद्वार जनपद में 87 करोड़ रुपया मिल चुका है और जिसके अन्तर्गत हम लोगों ने आपके जनपद में अधिक काम किये हैं। मान्यवर, आपके जनपद में 132 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि निम्न है– 132 के0वी0 रुड़की उपकेन्द्र है, इस उपकेन्द्र पर 40 एम0वी0ए0 का नया परिवर्तन स्थापित किया जा चुका है। 132 के0वी0 ज्वालापुर उपकेन्द्र में 20 एम0वी0ए0 के परिवर्तक को बदल कर उसके स्थान पर 40 एम0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भूपतवाला उपकेन्द्र में 132 के0वी0 का एक नया उपकेन्द्र निर्माणाधीन है जिसको माह अक्टूबर, 2003 तक उर्जित करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि आप कितने घंटे बिजली दे रहे हैं ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, हमारी सरकार ने इस 8 घंटे की आपूर्ति को बढ़ाकर 20 घंटे की विद्युत आपूर्ति कर दी है।

उत्तरांचल में बी0ए0एम0एस0 तथा बी0ई0एम0एस0 की कक्षायें संचालित करने वाली संस्थाओं की मान्यता

*8–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बी0ए0एम0एस0 तथा बी0ई0एम0एस0 की कक्षायें संचालित करने वाली कौन–कौन सी संस्थायें विधिमान्य हैं ?

उत्तराखण्ड मेडिकल इन्स्टीट्यूट 78/ए एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, डालनवाला, देहरादून द्वारा गठन से आज तक कुल कितने छात्रों को बी0ई0एम0एस0 की डिग्री प्रदान की गयी है ?

क्या उत्तरांचल सरकार द्वारा उक्त संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल में बी0ए0एम0एस0 की कक्षायें संचालित करने वाली ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज गुरुकुल, हरिद्वार तथा निजी क्षेत्र में स्थापित उत्तरांचल आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून विधिमान्य हैं। चूंकि बी0ई0एम0एस0 राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पद्धति नहीं है अतः उत्तरांचल में कोई भी बी0ई0एम0एस0 की शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था संचालित नहीं है।

उत्तराखण्ड मेडिकल इन्स्टीट्यूट 78/ए एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, डालनवाला, देहरादून द्वारा राज्य गठन से आज तक कुल 24 छात्रों को बी0ई0एम0एस0 के सर्टिफिकेट प्रदान किये गये हैं।

जी नहीं।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, कुछ बी0ए0एम0एस0 की कक्षायें संचालित करने वाली संस्थाओं का उल्लेख इस प्रश्न में आया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न यह है कि यह किस संस्था से मान्यता प्राप्त है, दूसरा उत्तरांचल में और ऐसे कितने संस्थान हैं जो बी0ए0एम0एस0 की डिग्री दे रहे हैं और छात्रों से प्रवेश के समय बड़ी मात्रा में पैसा लिया जा रहा है और उनको केवल झोला छाप डाक्टर के रूप में जाना जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, इस सम्बन्ध में मैं बता दूँ कि यह संस्था जो देहरादून के अन्दर कार्यरत है, यह एन0ई0एच0एम0, नई दिल्ली से अटैच है। मान्यवर, क्योंकि हाईकोर्ट से स्टे है और जब स्टे वैकेट हो जायेगा तो हम कार्यवाही करेंगे।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, इस संस्था द्वारा हर वर्ष डिग्रियाँ दी जा रही हैं और भारत सरकार से इसे मान्यता नहीं प्राप्त हैं तो कहीं न कहीं ये संस्था रुकने वाली है तो क्या इसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि इसमें हाईकोर्ट का स्टे है और भारत सरकार भी इसमें 1999 में पार्टी बनायी गयी है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, हम भारत सरकार से विधिक राय प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही करेंगे। ये जो 24 छात्रों को सर्टिफिकेट इस संस्था ने दिया, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि और कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो बी0ए0एम0एस0 की डिग्री प्रदान कर रही हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह एक ही संस्था है, बाकी सभी संस्थायें मान्यता प्राप्त हैं। दो हरिद्वार में हैं और एक देहरादून में।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया है कि हाईकोर्ट से सम्बन्धित कोई स्टे है तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस विषय पर स्टे है और एन0ई0एच0एम0 नई दिल्ली से इसे सम्बद्ध बताया गया है तो क्या यह भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है, 24 लोगों को बी0 ए0 एम0 एस0 का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है तो क्या यह मान्यताप्राप्त है ? सरकार का दायित्व है कि इन संस्थानों पर रोक लगाने की व्यवस्था करे, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह बी0ए0एम0एस0 जो संस्था है, इसे भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, ये लोग भारत सरकार के खिलाफ इलाहाबाद गए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कौन लोग गए ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, संस्था वाले गए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह मान्यताप्राप्त पद्धति नहीं है, लेकिन बी0ए0एम0एस0 एक पद्धति है, जिसके तहत कुछ संस्थाएं छात्रों का प्रवेश कर उनको डिग्रियाँ दे रही हैं। प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट का स्टे वैकेट होते ही संस्था के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, दूसरा इसका जो रचनात्मक पक्ष है कि क्या सरकार बी0ए0एम0एस0 पद्धति को मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी और जो उस पद्धति के मुताबिक सही कार्य कर रही हों, क्या उसको भी मान्यता प्रदान करेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह भारत सरकार को तय करना है, जैसे भारत सरकार तय कर देगी तब हमारी सरकार भी विचार करेगी।

जनपद चमोली के नीती, माणा तथा वनज्यूला पास मार्ग से भारत–चीन व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव

*9–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के नीती, माणा तथा वनज्यूला पास मार्ग से भारत–चीन व्यापार प्रारम्भ किये जाने हेतु केन्द्र

सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किशोर उपाध्याय–

उत्तरांचल राज्य गठन के बाद इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है। उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि सन् 1982 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को जनपद चमोली के विषय में प्रस्ताव भेजा था।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया गया है। भारत सरकार के सुझावानुसार यथा समय यथोचित प्रस्ताव भेजा जायेगा।

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारत–तिब्बत के अच्छे सम्बन्धों के चलते सन् 1982 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को जनपद चमोली के विषय में प्रस्ताव भेजा था। जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के नीती, माणा तथा बनच्यूला पास मार्ग से जो व्यापार किया जाता था, केन्द्र सरकार को प्रस्ताव इस पर भेजा गया ? क्या इसमें कोई जवाब मिला या इस पर कोई कार्यवाही की गयी ? दूसरा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर है, उसका तो जवाब मैंने दे दिया है कि 1982 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को जनपद चमोली के विषय में प्रस्ताव भेजा था और केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय सदस्य जी ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिज्ञासा चाही है तो इस सम्बन्ध में अधिकारिक तौर से विदेश मंत्रालय से सम्पर्क किया गया। हम लगातार सम्पर्क में है क्योंकि यह केन्द्र सरकार का मामला है। विशेषकर चीन जैसे संवेदनशील देश का मामला है, इसको केन्द्र सरकार को ही तय करना है। अगर केन्द्र सरकार इस बारे में हमसे जानकारी चाहेगी तो हम उसको जानकारी देंगे। अभी मानसरोवर यात्रा के मामले में सवाल–जवाब चल रहा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत तिब्बत–चीन व्यापार से सम्बन्धित है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में एक बात कही है कि मानसरोवर यात्रा का मार्ग बदले जाने पर विचार हो रहा है तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी और उनकी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी अपनी सरकार की ओर से इस मार्ग को न बदले जाने का प्रस्ताव सरकारी स्तर पर केन्द्र को भेजने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कैलाश मानसरोवर मार्ग बदलने का मामला अभी अखबारों में आया है। इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूँकि प्रश्न तो मार्ग खोलने से सम्बन्धित था, लेकिन मानसरोवर यात्रा तक जा पहुँचा। मैं मूल प्रश्न पर वापस आता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट दिया गया है कि 1982 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा था, दूसरे खण्ड में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया गया है। मान्यवर, यह सम्पर्क कब स्थापित किया गया और क्या सरकार ने मात्र एक चिट्ठी भेजकर इसकी इतिश्री समझ ली या सरकार इसके प्रति गम्भीर है ? पत्र भेजने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सरकार इस मामले में गम्भीर है। दिनांक 06 जून, 2003 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजा गया। यदि आप चाहेंगे तो इसकी प्रति आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि 6 जून, 2003 को विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि प्रस्ताव भेजा गया या नहीं?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रस्ताव 1982 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया था। केन्द्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है। हमसे जो जानकारी मांगी जायेगी, वह हम दे देंगे।

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, 1982 में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया था। उसके बाद भारत–चीन के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। क्या उत्तरांचल सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, 6 जून, 2003 को इस बारे में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को लिखा गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, यह प्रश्न हमारी विदेश नीति के मर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी निकट भविष्य में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चीन से सीमा सम्बन्धी कई विवाद सन् 1960–61 से अभी विचाराधीन हैं। समय–समय पर उनके सम्बन्ध में भारत सरकार जो संविधान के अनुसार इसके लिए उत्तरदायी है, वह सीमा सम्बन्धी विवादों के साथ–साथ जो अन्य विवाद हैं, उनके सम्बन्ध में बातचीत करती रहती है। जो माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, स्थानीय जनभावनाओं को देखते हुए वह बहुत उचित

है लेकिन इस सम्बन्ध में हमें आशा है कि चीन के प्रधानमंत्री जो नये निर्वाचित हुए हैं, वह भी भारत आने वाले हैं। यह प्रश्न जरूर वहाँ पर रखा जायेगा। मुझे विश्वास है कि भारत–चीन में जो बातचीत होगी, उसमें तमाम अन्य दर्रों सिक्किम, नाथूला आदि दर्रों के बारे में बात होगी। प्रधानमंत्री जी अपने विदेश मंत्रालय के अनुभवों का पूरा लाभ उठायेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि वार्ता सफल होगी और सीमा सम्बन्ध सुधरने के साथ–साथ व्यापारिक सम्बन्धों के लिए नया रास्ता भी खुलेगा। उसमें भी संभावना है कि इस व्यवस्था के बारे में विचार होगा। जब मैं केन्द्र में विदेश मंत्री था तो मुझे भी चीन जाने का अवसर मिला था। इस सम्बन्ध में मैंने भी प्रयास किया था कि भारत–चीन के बीच व्यापार सम्बन्ध और अच्छे हो जायें। चीनी कूटनीति इस सम्बन्ध में कैसे विचार करती है, यह भी देखने की बात है, तिब्बत का जिक्र भी, इसमें अपने आप ही आ जाता है। मा० सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए हम पुनः मा० प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे कि वे अपनी चीन यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को भी व्यापार के लिए खोलने हेतु वहाँ बात करें। 2–3 दिन के अन्दर ही मा० सदस्य से विचार–विमर्श करने के बाद हम यह पत्र लिखेंगे कि हमारे प्रदेश के क्षेत्रों नीती, माणा गुंजी, लिपूलेख, यनज्यूला आदि जितने भी दर्रे हैं, भारत–चीन व्यापार शुरू करने के लिए चीन के विदेश मंत्री जी से वार्ता करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी के धरासू में डम्पिंग क्षेत्र की भूमि, वन विभाग से मनेरी भाली परियोजना को स्थानान्तरण विषयक

1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना अन्तर्गत धरासू में डम्पिंग क्षेत्र की भूमि वन विभाग से परियोजना को स्थानान्तरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के अन्तर्गत धरासू में डम्पिंग क्षेत्र की भूमि के स्थानान्तरण के प्रकरण माह दिसम्बर, 2002 में समस्त वन अधिनियमों की औपचारिकतायें पूर्ण कर नोडल अधिकारी, उत्तरांचल के माध्यम से विधिक्षित कर भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं जिन पर शीघ्र ही औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना है।

राज्य पुलिस द्वारा अपराधियों से हुई मुठभेड़ों की जानकारी

2–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष कितने अपराधी मारे गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ मुठभेड़ में मारे गये अपराधियों की तरफ से कितने मुकदमे दर्ज किये गये हैं ?

नोट:– तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में इस वर्ष 01–01–03 से 31–05–03 तक पुलिस मुठभेड़ की आठ घटनाओं में बारह अपराधी मारे गये हैं। हरिद्वार की एक घटना में पुलिस पार्टी के विरुद्ध थाना रानीपुर में मु०अ०सं०: 17/2003 धारा 364/302 भा०द०वि० दर्ज हुआ है।

प्रदेश में वर्ष 2005 तक विद्युतीकरण की कार्य योजना

3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक घर को वर्ष 2005 तक विद्युतीकरण किये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस कार्य योजना को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

सभी अविद्युतीकृत ग्रामों को वर्ष 2006 तक विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। घरों के विद्युतीकरण हेतु लाभार्थी को आवेदन करना होता है।

मनेरी भाली परियोजना में मानक अनुरूप स्टोन क्रेशर स्थापित किये जाने विषयक

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना (धरासू) दिकोली, आबादी क्षेत्र में स्टोन क्रेशर स्थापित किये जाने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या इसे मानक अनुरूप स्थापित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

यद्यपि मनेरी भाली परियोजना स्टेज–II का निर्माण कार्य वर्ष 1980–81 में प्रारम्भ होने पर वहाँ 2 स्टोन क्रेशर स्थापित किये गये थे। धनाभाव के कारण परियोजना निर्माण का कार्य रुकने के बाद स्टोन क्रेशर बन्द हो गये थे। वर्ष 2002 में परियोजना का कार्य पुनः शुरू होने के बाद उन्हीं स्टोन क्रेशरों को परीक्षण के तौर पर प्रारम्भ किया गया है।

सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृति के विषय पर निर्णय लिया जायेगा।

मनेरी भाली परियोजना, द्वितीय चरण में, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की जाँच व आख्या

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली

परियोजना द्वितीय चरण में कार्यरत 'कोस्टल एवं श्रींग कम्पनी' के द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री बजरी इत्यादि की जाँच की जाती है ?

यदि हाँ, तो अब तक कितनी बार जाँच की जा चुकी है ?

क्या सरकार जाँच आख्या को सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

श्रींग कन्सट्रक्शन कम्पनी के पावर हाउस पर 24 बार तथा कोस्टल कम्पनी (एन0पी0सी0सी0) द्वारा प्रयुक्त सामग्री की 16 बार जाँच की जा चुकी है।

परियोजना के निर्माण कार्यों में प्रयोग में आने वाली सामग्री की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच करना परियोजना क्रियान्वयन का अभिन्न अंग है। तद्नुसार सामग्री जैसे सीमेंट, बजरी, बालू आदि की जाँच समय–समय पर साईट पर ही शिफ्ट में उपस्थित अभियन्ता व ठेकेदार के सामने की जा रही है। सीमेंट की जाँच कार्य–स्थल तथा जोशियाड़ा स्थित लैब में कराई जाती है। जाँच कार्य एक नियमित व्यवस्था है तथा अब तक की गई जाँच के आधार पर स्थिति मानकों के अन्तर्गत है। चूँकि उक्त जाँचों की रिपोर्ट काफी बड़ी है तथा पुनरावृत्ति प्रकृति (Repetitive nature) की है और मानकों के अन्तर्गत है अतः सभी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के स्थान पर संक्षिप्त सूचना उक्तानुसार प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की भारत–नेपाल सीमा पर तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने की योजना

6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में भारत–नेपाल से लगी सीमा पर तस्करी के कई मामले प्रकाश में आए हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भारत–नेपाल से लगी सीमा पर कुछ तस्करी के मामले विगत वर्षों में प्रकाश में आए हैं। इनके नेटवर्क एवं गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु एस0एस0बी0, केन्द्रीय आसूचना विभाग, स्थानीय पुलिस तथा राज्य अभिसूचना विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए प्रभावी कार्यवाही करते हैं।

रुड़की में अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता/आचार्य के पदों पर स्थायी नियुक्ति की माँग

7–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के रुड़की के अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं आचार्य के पदों पर नियुक्तियाँ अस्थायी हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पदों पर स्थायी नियुक्तियाँ करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नियुक्तियाँ अस्थायी नहीं हैं बल्कि प्रवक्ता निश्चित मानदेय पर कार्यरत हैं।

जी हाँ।

यथासमय चयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर स्थायी नियुक्तियाँ की जायेंगी।

राज्य एवं राज्य से बाहर हिन्दू तीर्थयात्रियों हेतु तीर्थयात्रा कमेटी बनाने पर विचार

8–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल एवं उत्तरांचल के बाहर हिन्दू तीर्थयात्रियों को तीर्थयात्रा पर जाने के लिए कोई हिन्दू तीर्थयात्रा कमेटी बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

वर्तमान में श्री बदरीनाथ–केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाये जाने एवं यात्रियों के लिये सुव्यवस्थाएं किये जाने हेतु श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति द्वारा आवासीय सुविधा, दर्शन/पूजन सुविधा, साफ–सफाई एवं सुरक्षा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल स्थित चारों धामों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं जनपद प्रशासन के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुव्यवस्थाएं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल के चारों धामों एवं आवश्यकता पड़ने पर अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के कुशल प्रबन्धन एवं सुनियोजित विकास हेतु मार्ग–निर्देश गठित किये जाने हेतु मा0 संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार श्री जगमोहन की अध्यक्षता में चारधाम विकास परिषद् का गठन किया जा चुका है, जिससे इस विषय में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये जा सकें। इसलिये अलग से हिन्दू यात्रा कमेटियों का गठन विचाराधीन नहीं है।

जनपद पौड़ी के मस्टरखाल एवं मोहन चट्टी पर प्रस्तावित विद्युत सब–स्टेशन निर्माण की जानकारी

9–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के मस्टरखाल एवं विकासखण्ड यमकेश्वर के मोहन चट्टी नामक स्थान पर 33 के0वी0 विद्युत सब–स्टेशन प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थानों पर प्रस्तावित निर्माण करवाया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

सब–स्टेशन का निर्माण लगभग 2 वर्षों में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

10–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

द्वितीय मंगल के अता० 16 में स्थानान्तरित।

रुड़की में पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर विचार

11–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की में सरकार पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2002 तक चयनित गाँवों का विद्युतीकरण

12–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में वर्ष 2000 से 2002 तक कितने गाँव विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चयनित किये गये थे ?

क्या चयनित गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष 2000 से 2002 तक 17 ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित किये गये।

उक्त में से 9 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है व शेष ग्रामों को जून माह के अन्त तक विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

सामग्री की व्यवस्था में कुछ विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ है।

राज्य के लघु उद्यमियों से वास्तविक विद्युत व्यय वसूलने की व्यवस्था

13–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में आटा चक्कियों, छोटी आरा मशीनों, छोटे होटल व्यवसाइयों से सरकार नियत दरों पर व्यवसायिक विद्युत किराया वसूल कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वास्तविक विद्युत व्यय के आधार पर विद्युत बिल वसूलने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में आटा चक्कियों तथा आरा मशीनों पर दर सूची एल0एम0वी0–6 (लघु व मध्य श्रेणी) एवं होटलों पर दर सूची एल0एम0वी0–2 (वाणिज्य श्रेणी) लागू है। इन उपभोक्ताओं से तद्नुसार ही विद्युत दर वसूल किया जा रहा है।

उत्तरांचल (उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 के अन्तर्गत विद्युत दर निर्धारण करने का अधिकार उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग का है। आयोग द्वारा दरों का निर्धारण करते समय अन्य बिन्दुओं के साथ विद्युत निगम के आय–व्यय का भी संज्ञान लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

मण्डी परिषद् द्वारा सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को वितरित ऋण की जानकारी

14–चौधरी यशवीर सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मण्डी परिषद्, उत्तरांचल द्वारा सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को ऋण दिया गया है ?

यदि हाँ, तो वितरित की गई ऋण की धनराशि कितनी है ?

क्या, मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चीनी मिलें इस ऋण का भुगतान किस प्रकार करेंगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

रुपये दस करोड़।

दिनांक 31–05–2003 को राज्य गन्ना काश्तकारों को रुपये 190.61 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। इस कारण उक्त ऋण को तुरन्त वापस करने में कठिनाई हो रही है। गन्ना कृषकों का अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान होने के तुरन्त बाद इस ऋण का भुगतान किया जायेगा।

हरिद्वार में विज्ञान स्नातक महिला महाविद्यालय खोलने पर विचार

15–श्री मदन कौशिक–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार में विज्ञान स्नातक कोर्स में महिला महाविद्यालय खोलने हेतु प्रकरण विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक महाविद्यालय खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद हरिद्वार में विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में पृथक से महिला महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2001—2002 में प्रदेश में 15 नये महाविद्यालय स्थापित किये गये थे। प्रथम चरण में 15 नव स्थापित महाविद्यालयों को सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत शैक्षिक हित में इनके सुदृढ़ीकरण एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

राज्य कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा की मासिक प्रीमियम की दर पंचम् वेतनमान के आधार पर निर्धारण की माँग

16—श्री मदन कौशिक—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा हेतु मासिक प्रीमियम की दरें कितनी निर्धारित हैं ?

क्या सरकार द्वारा पंचम् वेतनमान के आधार पर प्रीमियम की राशि बढ़ा दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान की दरें निम्न हैं :—

अधिकारियों / कर्मचारियों का समूह	मासिक अभिदान की दर (रु0)
समूह "क"	120.00
समूह "ख"	60.00
समूह "ग"	30.00
समूह "घ"	30.00

पंचम् वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप प्रीमियम की राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रीमियम का निर्धारण बीमा आच्छादन की राशि पर किया जाता है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति/विभागीय प्रोन्नति की माँग

17—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में सब—रजिस्ट्रार एवं निबन्धन लिपिकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्तियां करेगी एवं रिक्त पदों को भरते समय विभागीय प्रोन्नति भी सुनिश्चित करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल विकल्पधारियों की जनशक्ति को जोड़ते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में सब–रजिस्ट्रार के 24 (चौबीस) एवं निबन्धन लिपिक के 04 (चार) पद रिक्त हैं।

सब–रजिस्ट्रार के सीधी भर्ती कोटे के 22 (बाईस) पदों का अधियाचन, वर्ष 2002 में लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को भेजा गया है। राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हो जाने पर रिक्तियों का आकलन करते हुए उपलब्ध पदों पर सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुसार सीधी भर्ती व विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।

18–श्री प्रेमानन्द महाजन–

द्वितीय सोम0 के अता0 14 में स्थानान्तरित।

रुद्रप्रयाग के राजकीय स्नातक महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पी0जी0 स्तर की विज्ञान कक्षाएं चलाने की योजना

19–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय स्नातक महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पी0जी0 स्तर पर विज्ञान की कक्षाएं चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

20–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

प्रथम बुद्धवार के अता0 41 में स्थानान्तरित।

जनपद चमोली में जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि के आवंटन की जानकारी

21–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली हेतु जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2002–2003 हेतु अनुमोदित धनराशि के विरुद्ध विभिन्न विकास कार्यों को सम्पादित कराने हेतु पूर्ण धनराशि आवंटित कर दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के अनुश्रवण समिति द्वारा जिला सेक्टर में रु0 2455.00 लाख का

परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसके सापेक्ष जनपद चमोली से प्राप्त सूचना के आधार पर माह मार्च, 2003 तक 1524.00 लाख की धनराशि की स्वीकृतियाँ जारी की गयी। जो कि कुल प्रस्तावित परिव्यय का 63 प्रतिशत है। यदि उसमें ऊर्जा क्षेत्र हेतु अवमुक्त धनराशि को सम्मिलित कर लिया जाय (जो राज्य सेक्टर स्कीमों यथा– पी0एम0जी0वाई0, आर0ई0 आदि के माध्यम से अवमुक्त हुई हैं) तो धनराशि रु0 2293.00 लाख हो जाती है। शेष धनराशि अवमुक्त न होने का मुख्य कारण कुछ विभागों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को व्यय न कर पाना है।

उत्तरांचल कारागार विभाग के प्रतीक चिन्ह, वर्दी, बैज, कैप आदि का निर्धारण

22–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल कारागार विभाग का प्रतीक चिन्ह, वर्दी, बैज, कैप आदि का निर्धारण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल कारागार विभाग का पुनर्गठन अभी नहीं हुआ है। उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य अन्तिम कैडर विभाजन होने के उपरान्त ही प्रतीक चिन्ह, वर्दी, बैज, कैप आदि का निर्धारण किया जायेगा।

जनपद चमोली में नये पुलिस थाने खोलने का प्रस्ताव

23–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में नये पुलिस थाने खोलने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो किन–किन स्थानों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

ऊखीमठ, नारायण कोटि में मंदिर समूहों के संरक्षण व पुनर्गठन योजना का स्वरूप

24–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या धर्मस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ में नारायण कोटि में मंदिर समूहों के संरक्षण व पुनर्गठन हेतु कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यद्यपि जनपद, रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ में स्थित श्री नारायण कोटि मन्दिर समूहों के संरक्षण व पुनर्गठन की अलग से कोई योजना तैयार नहीं की गई है, किन्तु इन मन्दिर समूहों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसके साथ–साथ

वर्ष 1987–1988 से वर्ष 2002 तक इन मन्दिर समूहों में चाहरदीवारी निर्माण, टाईल्स बिछाने, चैनल गेट लगाने, बेस कंक्रीट बिछाने, रेलिंग एवं सौन्दर्यीकरण जैसे संरक्षण के कार्य कराये गये हैं।

एच0एम0टी0 फैक्ट्री नैनीताल के पुनर्संचालन हेतु केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता

25–डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीबाग जनपद नैनीताल स्थित एच0एम0टी0 फैक्ट्री की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बातचीत कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक फैक्ट्री सुचारू रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किशोर उपाध्याय–

एच0एम0टी0 की इकाईयाँ भारत के कई प्रान्तों में हैं। कम्पनी की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। एच0एम0टी0 के मुख्यालय से रानीबाग इकाई को आर्थिक सहायता/अनुदान देने हेतु अनौपचारिक रूप से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली में बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या एवं नये केन्द्र खोलने की योजना

26–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद चमोली में कितने केन्द्र चल रहे हैं ?

क्या सरकार नये केन्द्रों को खोलने के लिये कोई योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद चमोली में 271 केन्द्र चल रहे हैं।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चमोली के पोखरी में स्थापित विद्युत सब–स्टेशन सम्बन्धी

27–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में 33 के0वी0 का कोई सब–स्टेशन स्थापित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या उप सब–स्टेशन वर्तमान में कार्य कर रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के भवनों, संस्थाओं, मार्गों का नाम, आन्दोलनकारी शहीदों के नाम पर रखने विषयक

28–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के आन्दोलनकारी शहीदों के सम्मान में आज तक सरकार ने कितने भवनों, संस्थाओं, मार्गों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणित आवासों के आवंटन की जानकारी

29–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत किस श्रेणी के कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया है ?

क्या निर्माण किये गये सभी आवास आवंटित हो चुके हैं ?

यदि नहीं, तो रिक्त आवासों को आवंटित करने की कार्यवाही कब तक की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्राधिकरण गठन के पश्चात निम्नवत् आवासों का निर्माण किया गया है :–

उच्च आय वर्ग	...	84
मध्यम आय वर्ग	...	130
एल0आई0जी0	...	147
दुर्बल आय वर्ग	...	326
आश्रय योजना	...	116

एल0आई0जी0 में–01, दुर्बल आय वर्ग में–05 तथा आश्रय योजना में–18 के अतिरिक्त उच्च आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के कुल निर्मित भवन आवंटित हो चुके हैं।

समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा लगातार आवंटन का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चमोली के विकास खण्ड वार के गाँवों का विद्युतीकरण

30–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत वर्ष जनपद चमोली में विकास खण्ड वार कुल कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा वर्तमान में कुल कितने गाँव विद्युतीकरण से वंचित हैं ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्ष 2002–2003 में जनपद चमोली में विकास खण्डवार निम्नवत ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है :–

1.	थराली	...	2
2.	कर्ण प्रयाग	...	7
3.	पोखरी	...	2
4.	नारायण बगड़	...	6
5.	गैरसैंण	...	3
6.	देवाल	...	1
7.	दसौली	...	2
	कुल योग :–	...	23

जनपद में 241 ग्राम विद्युतीकृत होने अवशेष हैं।

प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न न उठाये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस पर पीठ से व्यवस्था आनी चाहिए। मान्यवर, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच संसदीय नियमों के सबसे अनुभवी ज्ञाता नेता सदन के रूप में हमारे बीच में हैं। मान्यवर, मेरे पास उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण नियमों का संकलन 1985–89 नाम की पुस्तक है इसमें लिखा है कि प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। परन्तु हमारे यहाँ तो असरकारी सदस्यों को छोड़ दें, सरकारी सदस्य भी यह प्रश्न उठाते हैं शायद मंत्रीगण तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अतः मान्यवर इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पर पीठ से कोई व्यवस्था दी जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी ने एक शब्द पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अजय भट्ट, डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मदन कौशिक, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा श्री बलबीर सिंह नेगी जी की कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री अनिल नौटियाल, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ धाम तक बन रही डबल लेन निर्माणाधीन सड़क का कार्य अवकाश के दिनों में भी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, चार धाम तीर्थाटन करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान कराये जाने हेतु ऋषिकेश से श्री बद्रीनाथ धाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है जिस पर कि सीमा सड़क संगठन द्वारा डबल लेन का कार्य द्रुतगति से किया जा रहा है परन्तु रविवार को अवकाश घोषित होने के फलस्वरूप दैनिक आपदा (बरसात, आंधी, भूस्खलन आदि) घटित होने पर यात्री राजमार्ग पर ही फंसकर अधर में रह जाते हैं तथा यात्रियों के जन धन की क्षति होती है, जिससे कि शासन प्रशासन पर यात्रियों द्वारा गहरा आक्रोश प्रकट किया जाना स्वाभाविक है।

यह एक अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि तीर्थाटन करने वाले यात्रियों के जान–माल की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रविवार के दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित होने वाली दैनिक आपदाओं से निदान पाने हेतु सीमा सड़क संगठन के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायें।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत हिंवल घाटी क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण की दिशा में जलागम प्रबन्धन कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व के प्रकरण की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की पांच नदियों ढांगू, डबरालस्यू, अजमेर, उदयपुर, लंगूर एवं तीन विकास खण्डों द्वारीखाल, यमकेश्वर एवं दुगड्डा

के क्षेत्र में विस्तृत सम्पूर्ण हिंवलघाटी विकास के इस युग में भी अपनी प्राचीन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जीने को विवश हैं। लगभग 35 से अधिक ग्राम पंचायत, क्षेत्रों में विस्तृत इस क्षेत्र का भूमि कटाव एवं जल का बिखराव, बिना किसी सुदृढ़ नियोजन के अभाव में दिन-प्रतिदिन विनाश की परिस्थिति में बदलता जा रहा है, जो इस क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा है। अब जब कि हमारे जनपद में विकास के संदर्भ में जलागम के नाम से कई विकास खण्डों में की गई और वर्तमान में भी लगभग 4 वर्षों से समेकित जलागम परियोजना शिवालिक वृत्त के नाम से हमारे जनपद में कार्यरत हैं। जिसके तीन डिवीजन कोटद्वार, जहरीखाल और ऋषिकेश इस जनपद में कार्यरत हैं, लेकिन इन डिवीजनों के अन्तर्गत कई गाँवों को वंचित रखा गया है। यदि जलागम प्रबन्धन की योजनाओं को हिंवलघाटी क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाता है तो निश्चित इनसे हिंवलघाटी में विस्तृत भू-भाग क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। अतः आपसे निवेदन करते हुए कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की मांग करती हूँ।

कर्णप्रयाग में स्थान भटोली के निर्माणाधीन ऐलोपैथिक चिकित्सालय की क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल-

मान्यवर, जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के स्थान भटोली में ऐलोपैथिक चिकित्सालय के निर्माणाधीन भवन के मुख्य भवन की दीवार टूट गयी है, जिससे मुख्य भवन को भी खतरा पैदा हो गया है, निर्माण संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम के कोई अधिकारी अभी तक भी स्थल पर नहीं गये जिससे कि उनकी कार्यप्रणाली पर शंका होती है, क्योंकि चिकित्सालय जैसे संवेदनशील मामले में अधिकारी मूक दर्शक बने हैं, क्षेत्रवासियों को यह भी आशंका है कि यदि वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह हाल है तो वर्षा प्रारम्भ होने पर भवन भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

लक्सर के खानपुर विकास खण्ड में सौलानी नदी की 130 हेक्टेयर भूमि मछुआ (कश्यप) जाति को पट्टे में दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

मान्यवर, मेरे लक्सर विधान सभा क्षेत्र के खानपुर विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत सौलानी नदी की तलहटी में लगभग 130 हेक्टेयर भूमि रिक्त है। उक्त भूमि पर क्षेत्र के मछुवा समुदाय की कश्यप जाति को जनहित में पट्टे आवंटित किए जाने की मांग पर मेरे द्वारा पत्र सं0 18171, दि0 14-08-2002 के माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री जी से उक्त भूमिहीन, साधनविहीन, पात्र व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर इस भूमि से पट्टे आवंटित करने का आग्रह किया गया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब 10 (दस) माह पश्चात् भी इस समाज के निर्बल वर्ग के सहायतार्थ शासन द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कोई भी कार्य प्रगति नहीं की गयी है। इसके अलावा क्षेत्र के कुछ स्वार्थी तत्वों एवं उनके सफेदपोश संरक्षकों द्वारा उक्त सरकारी भूमि को हड़प किए जाने की नीयत से षडयंत्र के तहत बाहरी क्षेत्र से ग्राम जोगावाला में और आस-पास मेन वर्ग के व्यक्तियों को बसाया जा रहा है (जिनमें अधिकतर असमाजिक अपराधीवर्ग हैं) और उक्त भूमि पर इनके पट्टे कराने की साजिश की जा रही है। यह अनुचित है, एवं अपात्र व्यक्तियों के पट्टे आवंटन पर रोक लगनी आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों का शासन द्वारा संज्ञान आवश्यक है। उक्त प्रकरण में कश्यप (जिनका कि प्राकृतिक नदियों के तटों पर अधिकार पूर्व में सरकारें मान चुकी हैं) जाति के उन 82 (बयासी) भूमिहीनों की सूची में दर्ज पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता पर सौंलानी नदी, जोगावाला-दल्लावाला क्षेत्र में पट्टे आवंटित कराए जाने चाहिए। लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रसंग पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में जीर्ण-शीर्ण पर्यटक आवास गृह को ग0म0वि0 निगम के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में पर्यटन विभाग ने लगभग एक करोड़ लागत के पर्यटक आवास गृह का निर्माण 3-4 वर्ष पूर्व किया। इसका निर्माण सी0 एण्ड डी0एस0 निर्माण शाखा नन्द प्रयाग के द्वारा कराया गया। यह भवन इस समय लावारिस पड़ा है। शीशे भवन के सब टूट रखे हैं। कमरों में बकरियाँ रह रही हैं। बिजली एवं पानी की फिटिंग उखाड़ कर चोरी हो गयी है। कमरों के दरवाजे खुले पड़े हैं।

अस्तु इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा इस लावारिस भवन को ग0म0वि0 निगम के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि पर्यटक इस पर्यटक आवास गृह में ठहर सकें।

जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा नौटियाल-

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ की पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, तल्लानागपुर में सन, दम्बाड़ी, दवीली, कुणजण, मयकोटी, बमोली, वावईबोरा, चोपता, दशज्यूला, काण्डई, थपलगाँव, इशाला, कण्डारी, दौलाकन्यास, बसुकेदार, डडोली, बडेथ, पाट्यू, नागजगई, भौंसाल, गणेशनगर, विकास खण्ड, ऊखीमठ, कुणजेठी, जग्गी, बेंडुला, प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली शिला, पठाली, दैड़ा, परकण्डी, थांड, घरसाल, ऊखीमठ, पल्दवाड़ी, नौरात्यूंग, शहीद गाँव, तेवड़ी, यात्रा मार्ग अगस्त्यमुनी, सिल्ली, चन्द्रापुरी, भीरी, नारायकोटी, बडासू, में भारी पेयजल संकट बना हुआ है और जनता बूँद-बूँद पानी के लिए तरस रही है और बार-बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन–प्रशासन से पेयजल संकट की मांग करती आ रही है, लेकिन उक्त गाँवों की पेयजल समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करती हूँ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत पहली सूचना मा0 सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठायी गयी सूचनाओं पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने सूचना विशेष का उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पीठ से कोई निर्देश दिया जाना सम्भव नहीं है। मैं इस सूचना को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

नियम 300 के अन्तर्गत दूसरी सूचना मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक की है, जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में है। सूचना महत्वपूर्ण है, किन्तु मैं चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन आम सहमति से हो तो उचित रहेगा और एक स्वस्थ परम्परा रहेगी। मैं सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर आम सहमति बना लें, तद्नुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कर लिया जाएगा।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस पर मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

श्री मदन कौशिक जी आप बैठ जायें। आप आम सहमति बना लें मैं तिथि निर्धारित कर दूँगा।

पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के ग्राम भूमियाकीसार (कसाण) को अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड यमकेश्वर के ग्राम भूमियाकीसार (कसाण) को अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में" श्री बलदेव प्रसाद कुकरेती एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूँ।

दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की सूचना पर मा0 अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 4 जून, 2002 को नियम 64 के अन्तर्गत 4 जून, 2002 को दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार "विधायक ने ही किया व्यवस्था का उल्लंघन" के सन्दर्भ में विशेषाधिकार की सूचना दी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य का कथन है कि "3 जून, 2002 को वे जब विधान सभा पहुँचे तो प्रवेश द्वार पर पुलिस के उप निरीक्षक द्वारा उनसे सुरक्षाकर्मी तथा अन्य को गेट पर ही उतार कर वाहन भीतर खड़ा करने को कहा, जहाँ से ड्राइवर वाहन को बाहर पार्क कर देगा, की जानकारी मुझे दी गई" माननीय सदस्य विधान सभा परिसर में गाड़ी खड़ी कर विधान सभा चले गये। इसके पश्चात् विधान सभा से लिखित अनुरोध मिलने पर उन्होंने अपने वाहन की चाबी मार्शल को दे दी और उनका वाहन परिसर के बाहर पार्क कर दिया गया। माननीय सदस्य ने यह भी सूचित किया कि चूँकि सत्र आरम्भ होने वाला था और उनके साथ चालक नहीं था इसलिए वह वाहन परिसर में खड़ा कर अन्दर चले गये। इस प्रकार उन्होंने व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं किया किन्तु समाचार-पत्र में गाड़ी को क्रेन से उठवा देने का उल्लेख करना, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी से झगड़ा करना आदि मिथ्यारोप हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनसे उनकी (माननीय सदस्य) प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः वह इस सम्बन्ध में उक्त समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहे हैं।

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दैनिक जागरण के मुख्य सम्पादक का कथन भी प्राप्त किया गया। पत्र के समाचार सम्पादक श्री अशोक पाण्डेय ने अपने पत्र दिनांक 24 मार्च, 2003 द्वारा अवगत कराया है कि "समाचार के प्रकाशन में माननीय विधायक के विशेषाधिकार हनन की उनकी मंशा नहीं थी। माननीय विधायक को हुई असुविधा के लिए उन्हें दुःख है"।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना तथा पत्र के समाचार सम्पादक द्वारा खेद प्रकट को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विधान सभा परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं उन्हें स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में बनाई गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समाचार-पत्र में छपे समाचार के सन्दर्भ में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है साथ ही, मैं सभी समाचार प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा करूँगा कि माननीय सदन अथवा माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में प्रकाशित किये जाने वाले समाचार गरिमा के अनुकूल हों।

मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन की सूचना के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 16 जून एवं 17 जून, 2003 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

<u>जून, 2003</u>

16 सोमवार	(1) वित्त वर्ष, 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
17 मंगलवार	(2) वित्तीय वर्ष, 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री हरबंस कपूर तथा श्री हरिदास को ग्राह्यता पर सुनूँगा।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, आपने नियम 56 के अन्तर्गत मुझे ग्राह्यता पर सुनने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में आज आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात सरकार बार–बार करती है और आयुर्वेद के साथ–साथ जड़ी–बूटी उत्पादन के लिए और जड़ी–बूटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बार–बार घोषणा करती है। बार–बार इन बातों को जनता के बीच कहती है। किन्तु सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है। मान्यवर, हमारे यहाँ श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ में वर्षों पुराने प्रशिक्षित 32 फार्मेसिस्ट कई वर्षों से दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उनकी नियुक्ति के बारे में सरकार ने आज तक कोई योजना नहीं बनाई उत्तरांचल प्रदेश में श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ, जो कि आयुर्वेद का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है। सन् 1997–98 से यह संस्थान बन्द पड़ा है। मान्यवर, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इन 32 आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों को यथाशीघ्र नियुक्ति दी जाए। पूर्व में भी मेरे द्वारा सदन को इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से अवगत कराया गया था। मान्यवर, आज भी यदि उत्तरांचल के आयुर्वेदिक अस्पतालों में देखा जाए तो वहाँ पर श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ के फार्मेसिस्ट ही मिलेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार इन 32 प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की नियुक्ति के मामले में क्या विचार कर रही है ? कब तक इन लोगों को नियुक्त करने जा रही है ? उत्तरांचल के तमाम दूरस्थ स्थानों पर अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। जनता एक–एक गोली के लिए तरस रही है। जनता की पीड़ा तथा दर्द के बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पतालों में 478 पद सृजित हैं। जिनमें से 151 पद रिक्त चल रहे हैं। 478 पदों में से 80 फार्मेसिस्ट पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2002–2003 में किया गया है। आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में उत्तर प्रदेश के साथ कॉडर का विभाजन नहीं हुआ है।

मान्यवर, इन रिक्त आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट के पदों को नियमानुसार भरे जाने की बात चल रही है। जहाँ तक विद्यापीठ आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का सवाल है, तो इनका आवेदन भी इसमें लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती आशा नौटियाल तथा स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं जिस विषय को लेकर आज सदन में चर्चा की मांग कर रहा हूँ वास्तव में मुझे लगता है उत्तरांचल की पूरी सरकार उत्तरांचल के हर प्रकार के कार्य बाहर की संस्था से कराने पर आमादा है। ऐसा ही एक प्रकरण मेडिकल परीक्षा का है। उत्तरांचल की सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा का ठेका नोयडा की एक प्राईवेट संस्था को दिया है और यह ठेका गुपचुप तरीके से दिया है। जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है। उत्तरांचल में तीन विश्वविद्यालय होने के बावजूद ऐसी कौन सी स्थितियाँ आ गयी थी कि इस परीक्षा का ठेका प्रदेश से बाहर किसी एजेंसी को दिया गया। मान्यवर, जबकि प्रदेश में विश्वविख्यात विश्वविद्यालय रुड़की है। इस परीक्षा के लिए छात्रों से लगभग 1200 रु० प्रवेश परीक्षा शुल्क लिया गया, जो उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों के अलावा लखनऊ के पी०एन०बी० बैंक से वितरित किये गये, जिससे लगभग 10 करोड़ रु० का व्यवसाय इस एजेंसी को हुआ। परन्तु जब पिछली बार रुड़की विश्वविद्यालय ने यह परीक्षा आयोजित की थी तो इसके आधे दाम पर प्रवेश परीक्षा फार्म शुल्क लिया था। मान्यवर, इस एजेंसी को आल इण्डिया मैडिकल साइंस से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है जो केवल तकनीकी शिक्षा के लिए ही परीक्षा तय कर सकती है। मान्यवर, मुझे इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की साजिश लगती है, इसलिए मैं इस अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह परीक्षा भारत सरकार के उपक्रम संस्थान एजूकेशनल कन्सलटेन्ट्स इण्डिया द्वारा कराया जा रहा है। मान्यवर, उसके एम०डी० आई०ए०एस० संवर्ग के हैं। मान्यवर, इस संस्थान से झारखण्ड और छत्तीसगढ़ नवगठित राज्यों ने भी परीक्षा कराई है। मान्यवर, हम पहले नहीं करा रहे हैं, इससे पूर्व 2 राज्य भी परीक्षा करा चुके हैं। मान्यवर, यह कहना कि आवेदन–पत्र का मूल्य 1250 रुपया है और इससे अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मान्यवर, सरकार चाहती है कि परीक्षा के अन्दर अच्छे परिणाम आयें और किसी भी तरह की शिकायत न मिले। इसलिए भारत सरकार के उपक्रम से करा रहे हैं। मान्यवर, यह निजी संस्थान नहीं है। यह परीक्षायें निष्पक्ष रूप से आयोजित होंगी। मान्यवर, हमारे विश्वविद्यालयों में काम ज्यादा होने के कारण भारत सरकार के उपक्रम से परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिया।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, क्या उत्तरांचल के सारे विश्वविद्यालयों ने कहा कि हम इसकी परीक्षा नहीं ले सकते हैं या एक–दो विश्वविद्यालय ने कहा। कृपया इसे स्पष्ट कर दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पंत नगर विश्वविद्यालय में पहले से ही काम ज्यादा है इसलिए वहाँ पर होना सम्भव नहीं है। फिर भी हमने रुड़की और गढ़वाल के विश्वविद्यालय से कहा जब उन्होंने भी असमर्थता दिखाई तो भारत सरकार के उपक्रम से कराया। मान्यवर, इसमें कोई तकनीकी कमी नहीं आयेगी।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह संस्था ज्यादा फीस ले रही है। मान्यवर, 600 रुपये से अब 1250 रुपया फीस ली जा रही है। इसलिए मान्यवर, इसे स्पष्ट करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, फीस निर्धारित तौर पर ली गई है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पिछले वर्ष कितनी फीस ली गई और इस वर्ष कितनी फीस ली गई।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछले वर्ष और इस वर्ष जो फीस का सवाल है तो भारत सरकार की संस्था ने जो फीस निर्धारित की उसी के आधार पर तय की है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। मान्यवर, यह शुल्क बाद में तय किया गया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गड़बड़ी है।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा के आवेदन–पत्र का मूल्य 1250 रुपया निर्धारित किया गया है। मान्यवर, जो कि गत वर्ष की प्रवेश परीक्षा के ब्रॉशर और मूल्य के समान है। अतः इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों पर किसी अतिरिक्त भार की कहीं कोई गुन्जाइश नहीं है। इस वर्ष के नियम भी गत वर्ष की भाँति ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एजूकेशनल कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लि0 जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, मान्यवर, यह प्राइवेट संस्था नहीं है और इसके एम0डी0, आई0ए0एस0 होते हैं और भारत सरकार द्वारा मन्जूर हैं तो इसमें कोई भी सन्देह नहीं होना चाहिए, इसमें निजी कम्पनी को लाभ नहीं पहुँच रहा है। यदि कोई लाभ हो रहा है तो भारत सरकार को ही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी पिछले दिनों से उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत शिक्षा विभाग में एल0टी0 वेतनक्रम में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। माननीय शिक्षा मंत्री ने इसी सदन में कई बार कहा है कि एल0टी0 शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने यह भी घोषित किया था कि इसकी मेरिट सूची इन्टरनेट पर प्रकाशित की जाएगी। मान्यवर, इस बीच शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी होने प्रारम्भ हो गए हैं, किन्तु शिक्षकों की कोई मेरिट सूची अभी तक जारी नहीं की गयी है। मामले को अत्यन्त गोपनीय रखा जा रहा है, फलस्वरूप उत्तरांचल के लाखों बेरोजगारों, आम जनता में, शिक्षकों की भर्ती व उसमें बरती जा रही पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो रहा है। क्योंकि पूर्व में पटवारी प्रकरण और सब–इंस्पेक्टर भर्ती प्रकरण में सरकार पर नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के गम्भीर आरोप लगते रहे हैं। एल0टी0 शिक्षकों के दोनों मण्डलों में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची इन्टरनेट पर प्रकाशित न होने से समूचे उत्तराखण्ड की जनता में भारी रोष व्याप्त है अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर चर्चा की माँग करता हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 ग्रेड के 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया, 800 कुमाऊँ मण्डल में और 1200 गढ़वाल मण्डल में इस तरह का विज्ञापन निकालकर और आवेदन–पत्र आमंत्रित किए गए। इसमें लगभग क्रमशः 18,000 व 24,000 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए और उनको शार्ट–आउट करने में काफी समय लग गया और अलग–अलग दोनों मण्डलों में संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिकृत किया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करें और ये नियुक्तियाँ मेरिट के आधार पर की जाएगी। हमें लग रहा है कि माननीय सदस्य जल्दी चाह रहे हैं और इन्टरनेट पर देखने के लिए लालायित हैं। मान्यवर, हम नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। कुमाऊँ मण्डल में 400–500 नियुक्ति पत्र और गढ़वाल मण्डल में 600–700 नियुक्ति पत्र जारी करने की सूचना है।

जब सारी नियुक्तियाँ हो जायेंगी उसके बाद ही रिजल्ट अखबारों में या इन्टरनेट पर दिया जाना सम्भव हो पाएगा। मैं माननीय सदस्य की इस भावनाओं से सहमत नहीं हूँ जैसे कि उन्होंने कहा कि पारदर्शिता नहीं हो रही है। मान्यवर, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। पूरी नियुक्तियाँ जिस दिन हो जायेंगी हम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे तथा अखबारों में भी देंगे तथा इन्टरनेट पर भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, देहरादून महानगर में पेयजल की स्थिति गंभीर रूप धारण कर रही है। तापमान बढ़ने के साथ–साथ यह समस्या विकट रूप लेती जा रही है इससे जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव

एक आम बात बन गयी है तथा घेराव के डर से अधिकारियों ने अपने कार्यालय में बैठना बंद कर दिया है तथा अपने मोबाइल फोन भी बन्द कर दिये हैं। मान्यवर, पेयजल की स्थिति महानगर में गंभीर है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पानी के लिए घेराव न होता हो, प्रदर्शन न होता हो, धरना न होता हो। मान्यवर, वर्तमान में अगर हम पानी की स्थिति के बारे में जाने तो 5.25 लाख यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से 225 एल0पी0सी0डी0 पानी एक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए और इसके हिसाब से 118.1 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध होना चाहिए परन्तु आज स्थिति यह है कि विभाग के अपने आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर मात्र 70 एम0एल0डी0 पानी ही उपलब्ध है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ 118.1 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध होना चाहिए वहीं जलसंस्थान मात्र 70 एम0एल0डी0 पानी ही वितरित कर रहा है। इसके साथ-साथ राजधानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो स्थायी जनसंख्या है जो प्रतिदिन राजधानी आती है, उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्रों से अपने कार्यों के लिए। अगर इनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हम स्थिति का आंकलन कर सकते हैं। राजधानी होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल और सारे मंत्रीगण, सचिव, विभाग के अधिकारी विशिष्ट व्यक्ति होने के कारण इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विभाग पूरा प्रयत्न करता है। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब प्रत्येक वर्ष दो नलकूप यहाँ पर हर साल लोकार्पित होते थे परन्तु डेढ़ साल में यहाँ पर कोई भी नलकूप नहीं बना। इसके अलावा गर्मी बढ़ने के कारण जिस तरह से पानी का जलस्तर नीचे जा रहा है उससे पानी की उपलब्धता की क्षमता कम हो गयी है यहाँ तक की प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले पेयजल की मात्रा में भी दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है।

मान्यवर, जो मौसीफॉल पाईपलाईन आ रही है उसमें भी खराबी आने के कारण उसकी क्षमता भी आधी रह गई है। साथ ही जो प्राकृतिक स्टोर पर पानी उपलब्ध है उसमें भी कमी आई है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा और यहाँ के जल निगम तथा जल संस्थान द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण आज इस महानगर के नागरिक एक-एक बूँद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें। आज देहरादून में जो स्थिति पानी की बनी हुई है इसका संदेश मात्र उत्तरांचल तक ही सीमित नहीं है बल्कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनके द्वारा यह संदेश पूरे देश में जा रहा है। इससे जो आने वाले पर्यटक हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये। धन्यवाद।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)-

मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहाँ उन्होंने यह जिक्र किया कि पहले सालों में प्रति वर्ष 2 नलकूप लगा करते थे। विगत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की अस्थाई राजधानी होने के उपरान्त यह पहल की थी और विगत वर्ष हमने 6 नलकूपों का निर्माण कराया जिससे 6 एम0एल0डी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी उपलब्ध हो रहा है। 4 नलकूपों पर काम चल रहा है। जल्दी ही यह कार्य पूरा हो जायेगा और मैं समझता हूँ कि डेढ़ साल के अंदर जहाँ आप 2 की मांग कर रहे हैं, 10 का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 39 हैण्डपम्प स्थापित कर दिये गये हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीजापुर कैनाल का पानी लेने के लिए हमने भारत सरकार और आर्मी हेडक्वार्टर से अनुमति माँगी है। इसमें 826 रुपया वे रेन्टल वैल्यू लेना चाहते हैं। इसकी अनुमति मिलते ही यह पानी भी नगरवासियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। मान्यवर, इसके साथ ही डोईवाला और श्यामपुर के बीच सौंग नदी का पानी निकलता है। जो गंगा नदी में मिल जाता है। आपने देखा होगा कि बरसात के समय जब गंगा का पानी गन्दा हो जाता है तब भी सौंग नदी का पानी साफ रहता है। इस पानी को देहरादून लाने पर विचार किया जा रहा है। इसका सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इस पानी को देहरादून के साथ-साथ ऋषिकेश भेजने का भी प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, यह बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में विद्युत आपूर्ति अनियमित होने के कारण और तेज हवाएं चलने से ट्रान्सफार्मर में खराबी आ जाने के कारण पानी की आपूर्ति में अनियमितता आई है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी जहाँ हमको सूचना मिली हमने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। हमने इस सम्बन्ध में 8 कंट्रोल रूम स्थापित किये हैं। स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में इसकी सूचना दे दी गई है।

इन कन्ट्रोल रूमों में कोई भी व्यक्ति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक फोन से अपनी सूचना दर्ज करा सकता है वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं जैसे ही कहीं पर जलापूर्ति बाधित होने की सूचना मिलती है तो वहाँ पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि वे इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार को खासकर मा0 मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए और सदन में एक धन्यवाद प्रस्ताव लाना चाहिए कि इतने कम समय में हमने 39 हैंडपम्प लगा दिये तथा 10 नलकूप भी लगा दिये हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि 10 नलकूप लगाये जा रहे हैं तो वे नलकूप कौन से हैं। यह सही है कि टैंकरों से जलापूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु वह निजी टैंकरों को लाभ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर कई लोगों ने टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति करवाना बिजनेस बना रखा है और वह टैंकर वही हो सकते हैं। उनको लाभ पहुँचाने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। 6 नलकूप लगा दिये हैं मान लिया देहरादून शहर की 5 लाख पापुलेशन है और 118.1 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता होती और आप मात्र 60 या 70 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध करा रहे हैं।

मान्यवर, हो सकता है कि मेरी जानकारी सही न हो और मंत्री जी की सूचना अलग हो। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इसे ग्राह्यता पर स्वीकार करके इस पर चर्चा कराई जाये। इसे अनदेखा न किया जाये। मान्यवर, मेरे पास अखबारों की कुछ कतरनें हैं आप किसी भी दिन का अखबार उठाकर देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं बचता है जबकि अखबारों में पानी के लिए किसी अधिकारी का घेराव नहीं किया जाता हो, धरना न दिया

जाता हो, अनशन की स्थिति न आती हो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है मान्यवर, आज सदन में आने से पहले मैंने 11.00 बजे तक लगातार कंट्रोल रूम में संपर्क किया कि सूचना दे दी जाये परन्तु वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था हर बार यही कहा जाता रहा कि वे फील्ड में गये हैं पता नहीं वे कौन से फील्ड में गये होंगे। माननीय अध्यक्ष जी इस पर गंभीरता से विचार करें और आपसे अनुरोध है कि इसे ग्राह्यता पर स्वीकार कर चर्चा करा दें ताकि विभाग को भी इसकी चिन्ता हो, सरकार को भी चिन्ता हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि इससे पूर्व भी मैं सदन को अवगत करा चुका हूँ कि जिस तेजी से पानी का अन्डर ग्राउंड स्तर घटता चला जा रहा है यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। लेकिन इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तथा उनके दिशा–निर्देशन में हम गंभीरता से इस विषय पर विचार कर रहे हैं। विगत वर्ष में हमारी सरकार द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संवर्द्धन की व्यवस्था कराई गई है।

(व्यवधान)

10 नलकूपों की स्थापना की जा रही है और वर्षों से लम्बित पड़ी हुई बीजापुर कैनाल के प्रकरण के सम्बन्ध में हमने आर्मी हैडक्वार्टर से संस्तुति करा ली है। इस पर आर्मी हैडक्वार्टर ने एक नई रेन्टल वैल्यू फिक्स की है उसे हमने मान लिया है। शीघ्र ही 6 महीने के अंदर हम उसे यहाँ ले आयेंगे।

मान्यवर, इतना ही नहीं, सौंग नदी, जिसके विषय में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, हम उसके लिए भी विचार कर रहे हैं और इसके लिए हमने परीक्षण भी करवा लिया है। आपने कहा कि 6 एम0एल0डी0 पानी भी नहीं मिल रहा, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि 6 एम0एल0डी0 पानी तो सिर्फ 6 नलकूपों से ही मिल जायेगा, लेकिन समस्या यह है कि जल स्तर कम होने से कुछ नलकूप जितनी क्षमता से पानी फेंक सकते हैं, वह नहीं फेंक पा रहे हैं, हम इसको ठीक कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, आपने कहा कि हम लोग कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए यह कर रहे हैं। तो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व में यह व्यवस्था किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती थी, किन्तु इस बार पहली दफा हमने यह व्यवस्था विभागीय स्तर पर की है। जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर टैंकर जाते हैं जिसको जितना पानी चाहिए, उसको उतना पानी दिया जाता है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

श्री हरबंस कपूर तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय सूचना पर अपने विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, राम गंगा परियोजना कालागढ़ में स्थित इस परियोजना से सम्बन्धित कालागढ़ में आवासीय कालोनी में 40 वर्षों से मजदूर स्तर के लोग रह रहे हैं। 30 अप्रैल सन् 1975 को शासकीय विज्ञप्ति द्वारा गजट नोटीफिकेशन कर कालागढ़ नोटीफाइड एरिया कमेटी का सृजन करते हुए वहाँ पर आम जनता को स्थायी रूप से रहने की शासकीय अनुमति प्रदान की थी और छंटनीशुदा कर्मचारियों को बाहर जाने से रोक दिया था। इसके साथ–साथ ग्राम्य विकास अभिकरण अधिकारी, पौड़ी द्वारा अक्टूबर, 1989 में कालागढ़ को ग्राम सभा का दर्जा प्रदान किया गया लेकिन 40 वर्ष के बाद अब इन परिवारों को साजिशन उजाड़ा जा रहा है। इस कालागढ़ की कालोनी में सरकार ने मजदूर वर्ग एवं धनी वर्ग के लोगों को बटवारा करते हुए एक ओर जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको उजाड़ने के लिए 14–06–2003 का समय दिया है, दूसरी ओर जो अरबपति लोग हैं, उनको ये आवास आवंटित किये जा रहे हैं। मान्यवर, जो परिवार उजाड़े गये हैं, वे वर्तमान में आन्दोलित हैं, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन मजदूर स्तर के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति कभी भी भयानक रूप धारण कर सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, मैं दोनों माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दोनों माननीय सदस्य उस दल से ताल्लुक रखते हैं, जिस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मान्यवर, प्रश्नगत परियोजना उत्तरांचल राज्य में होने के बावजूद आज तक हमें आवंटित नहीं हुई है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर हो रहा है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सिर्फ यह बताएं कि उत्तरांचल सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, किसी और प्रदेश की सरकार का जिक्र यहाँ पर न करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जिस दल के हैं, उसका समर्थन उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त है। आप यह स्पष्ट क्यों नहीं करा देते हैं कि जो संस्थान उत्तरांचल की सीमा में हैं, उनका संचालन उत्तरांचल सरकार करे तथा जो संस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, उनका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करे। आज जो समस्या उत्पन्न हुई है, वह सिर्फ इस कारण हुई है कि इस स्थान को छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आज भी तैयार नहीं है।

मान्यवर, हरिद्वार जनपद और पौड़ी गढ़वाल के कई क्षेत्र बाकी रह गये हैं जिनमें निपटारा होना बाकी है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह मसला उत्तरांचल का है उत्तर प्रदेश का नहीं। मान्यवर, बँटवारा कांग्रेस और बसपा का नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि वहाँ से जनता को उजाड़ा जा रहा है, जो वहाँ के करोड़पति हैं उन्हें वह आवंटित किया जा रहा है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उस क्षेत्र में प्रशासन उत्तर प्रदेश का चल रहा है। आज भी उस क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है, कोई रोक–टोक नहीं, जिस दिन हमको आवंटित किया जायेगा, इन तमाम कार्यों पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं वह उत्तरांचल के हैं इसलिए उत्तरांचल सरकार को उनके हित के बारे में सोचना चाहिए, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादती कर रही है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, वहाँ पर जो कार्यवाही की जा रही है वह कोर्ट के आदेश पर की जा रही है, वह कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, क्योंकि माननीय सदस्य यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी वहाँ के प्रतिनिधि होंगे, उस क्षेत्र के जो वोटर हैं वे उत्तरांचल के होंगे। अभी तक मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार को सूचित किया, इसमें केन्द्र सरकार का सहयोग लिया, इनको बतायें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, उस क्षेत्र से मेरा सम्बन्ध है, वह मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कालागढ़ क्षेत्र का मसला उठाया वह महत्वपूर्ण भी है, संवेदनशील भी है। इस बारे में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब इस डैम का निर्माण हो रहा था, यह भूमि फारेस्ट की हुआ करती थी। उसमें आदेश सिंचाई विभाग का आया कि जब आपका काम पूर्ण हो जायेगा तो उसे फारेस्ट मान लिया जायेगा। इसमें लोगों ने हाईकोर्ट में रिट कर दी। उत्तर प्रदेश के श्री डी0पी0 सिंह सिंचाई के प्रमुख सचिव थे उन्होंने इसमें एक एफीडेविट लगाया। हमने कोर्ट में रिट दायर करवायी उसमें इसकी सुनवायी हुई, उसमें तीन महीने का समय दिया गया। इसमें तीन महीने के अन्दर कुछ न कुछ निस्तारण हो जायेगा। यह चिन्ता हमारी भी है, उनको वहाँ से अन्यत्र नहीं हटाया जायेगा। आपने प्रश्न किया था कि उनको वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। इसमें 13 तारीख को एक निर्णय होना था।

मान्यवर, तीन महीने तक यथास्थिति रखी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को उजाड़ा नहीं गया है। मान्यवर, हम लोग नई आवासीय कालोनियों को डेवलप कर रहे हैं। जब तक हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बारे में कोई चर्चा करना उचित नहीं है। यह बात सत्य से परे है कि वहाँ पर उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है।

यह मेरा विधान सभा क्षेत्र है। इसके प्रति मैं अधिक जिम्मेदार हूँ। मेरे क्षेत्र के प्रति आपने बात उठाई इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री हरिदास–

मान्यवर, उन लोगों द्वारा 99 साल के लिए पट्टा लिया गया था तथा 99 साल के लिए पैसा भी जमा किया गया था। मान्यवर, यदि उन्हें उस स्थान से उजाड़ा जा रहा है तो किसी अन्य जगह पर उन्हें बसाया जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। जो अमीर लोग हैं, इसी कालागढ़ कालोनी में उनको ये आवास आवंटित किये जा रहे हैं। यह सरकार गरीब विरोधी है। यह सरकार दल विरोधी है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हूँ इसलिए इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कार्यवाही हो रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है।

(भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। मान्यवर, माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे इस बारे में उन्होंने कह भी दिया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कहना न्यायसंगत नहीं है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप किस तरह के मंत्री हैं। मंत्री जी द्वारा कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। आप क्या कर रहे हैं ? आपकी सरकार क्या कर रही है ?

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसका मतलब तो यह हुआ कि वहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ के नागरिक नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है। मैंने पहले भी कहा कि यह संवेदनशील मामला है। मान्यवर, इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। किसी की भी मंशा उनको उजाड़ने की नहीं है। श्री डी0पी0 सिंह की भी यह मंशा नहीं रही होगी। 99 साल तक लीज पर पट्टे की बात कही गई है। 99 साल के पट्टे पर किसी को भी नहीं दिया गया है। यह जमीन सिंचाई विभाग को दी गई थी। निर्माण कार्य होने के बाद राम गंगा परियोजना के कुछ लोग रिटायर हुए, वे लोग वहीं बस गये उन लोगों ने वहीं गुजर–बसर करना प्रारम्भ कर दिया।

मान्यवर, ये लोग वहाँ पर गुजर–बसर करने लगे, इस क्षेत्र के अन्तर्गत धारा व झिरना दो गाँव थे, जिन्हें रामनगर क्षेत्र में हस्तान्तरित किया गया। मान्यवर, जनहित याचिका दायर होने की वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। चूँकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, हमने प्रयास किया कि इस मामले को कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाय। मान्यवर, यह मामला 1985 अविभाजित उत्तर प्रदेश से चला आ रहा है। श्री डी0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव, सिंचाई ने कोर्ट में शपथ–पत्र दाखिल किया था। मान्यवर, यह मामला कोर्ट में लम्बित है इसलिए इस विषय पर चर्चा किया जाना उचित नहीं होगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध की गयी बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी को तथा माननीय सिंचाई मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(अब हम उठते हैं अपरान्ह 3.00 बजे तक के लिए)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2003–2004 के आय–व्ययक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, यह जो 2003–2004 का आय–व्ययक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, स्वाभाविक ही इस पूरे सदन की इच्छा थी कि इस बजट में इस बार कुछ नयापन होगा, और इस बजट के माध्यम से इस प्रदेश के विकास में कुछ नई दिशा देने के लिए इस बजट में प्रयत्न किये गये होंगे। लेकिन, अगर इस पूरे बजट को हम ध्यान से पढ़ें और पिछले 3 वर्षों के बजट से तुलना करें तो ऐसा लगता है कि "ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल" मतलब नई बोतल में पुरानी शराब है। मान्यवर, हमको लगता था, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तीय मामलों के बड़े पारंगत हैं, वित्तीय मामलों में पारंगत ही नहीं बल्कि निपुण भी हैं। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता था कि इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को कुछ ऐसी रियायतें देंगे, प्रदेश की जनता के लिए कुछ ऐसी योजनायें लायेंगे जिससे हम लोगों को लगे कि नूतनता आयेगी, इसके माध्यम से प्रदेश में नया वित्त आयेगा, अधिक संसाधन आयेंगे, अधिक रुपया आयेगा और उसके माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार आयेगा। मान्यवर, ऐसा कुछ बजट में होगा मैंने सोचा।

मान्यवर, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न तो वित्त ही दिया है और न आम जनता के चित्त को ही ध्यान में रखा है, एक प्रकार से इस बजट में निराशा ही अधिक है। मुझे लगता था कि शायद, यानि एक सामान्य सी बात है कि आप

जब अपना बजट तैयार करते हैं तो आप बार–बार कहते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं, हमको लगता था कि आप उनकी ओर ध्यान देंगे, संसाधन बढ़ायेंगे। हमें यह भी लगता था कि आप कर घटायेंगे, लेकिन पूरे बजट को देखते हुए लगता है कि न तो आपने नए संसाधनों हेतु कोई हिम्मत दिखायी और न ही कोई नए कर लगाने की। मान्यवर, 2001–2002 के बजट को देख लें उस समय हमने अनेक करों में रियायत दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सुबह कहा कि अब सवाल न पूछिए सब कुछ बजट भाषण में बोल दीजिएगा, यह उनकी सदाशयता थी, उन्होंने कहा था कि जरा पुरानी किताबों को पढ़ लो, बजट को पढ़ लो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कुछ सीखने को हो तो हम काजी जी एवं सम्पूर्ण विपक्ष आपके पास सीखने को आ जायें।

मान्यवर, पिछले 2–3 दिनों से प्रश्नों के जो उत्तर आ रहे हैं और जो माननीय मंत्रीगण बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे मंत्री हैं, पढ़ने की जरूरत तो केवल प्रतिपक्ष को है, फिर भी आपके सुझावों को हम लेंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर हमारे इस बजट में कोई तो ऐसी नूतनता होती कि हमने कोई साहस किया हो, हमने फलां रिलीफ आपको दे दी हो, करों में कोई रियायत कर दी हो। मैं तो आपसे कह रहा था कि 2001–2002 के बजट को यदि आप देखेंगे कि काफी चीजों में हमने करों में रियायत दी और यदि ठीक से आपके साथी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2001–2002 के बजट में आज के दस्तावेजों के हिसाब से 160 प्रतिशत अकेले सेल्स टैक्स में वृद्धि हुयी, 2002–2003 के बजट को देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि 15 प्रतिशत की भी वृद्धि नहीं हुयी है। मान्यवर, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट पर कहीं भी अधिक चिन्ता नहीं की गयी है। मैं बजट के अन्तिम भाग में अर्थात् उसके गुण–दोषों की ओर कुछ कहने से पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आखिर ये प्रदेश बना, मैंने बार–बार कहा कि उत्तरांचल की माँग बहुत लम्बी थी, परन्तु इस प्रदेश में जो ऐतिहासिक आंदोलन चला वह क्यों चला, यह आंदोलन इतना तीव्र क्यों हुआ। यदि हम सब इतिहास में देखें तो 1994 के अन्दर तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरक्षण की जो व्यवस्था की उसके विरोध में हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह खड़ी हो गयी। क्योंकि उनको लग गया कि इससे रोजगार के अवसर खत्म हो जायेंगे। रोजगार के नाम पर वह आंदोलन इतना तीव्र हुआ था कि अन्ततोगत्वा केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल राज्य बनाया। पिछली बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के नाम पर पूरा विज्ञापन रख दिया था। हमने पिछली बार भी निवेदन किया था। जहाँ नारायण दत्त तिवारी जी जैसे अनुभवी और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, ऐसे नेता से सत्ता की ही ओर से नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से भी यह आशा की जाती है कि ये कोई नूतनता लायेंगे। यह ठीक है कि वे संवेदनशील हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उन्होंने इस बार भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कहा जाए कि बजट बहुत अच्छा है। इसके लिए या तो उनके साथियों ने उनको मना कर दिया या फिर उनको इसके लिए सोचने की फुर्सत नहीं रही। आखिर हमारी सरकार अपनी ओर से लोगों को रोजगार देने के लिए क्या योजना बना रही है। यह ठीक है कि आपने कहा कि हम हर वर्ष दो लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन कब तक आप

यह कहकर वोट पाते रहेंगे। अगर आपने कोई योजना बनाई तो आप उससे किस प्रकार लोगों को रोजगार देंगे उनका कहीं भी इस बजट में वर्णन नहीं है। मान्यवर, कम से कम साल में 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार साल में दे दें, दो लाख तो बहुत दूर है इसकी भी कोई योजना होनी चाहिए थी ? ठीक है शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हम इस तरफ कितने संवेदनशील हैं। लगता है इस पर आपके मंत्रिपरिषद् में विचार ही नहीं होता है।

(विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर व्यवधान)

मान्यवर, जिस सदन में नारायण दत्त तिवारी जैसे अनुभवी व्यक्ति बैठे हों जिनको बड़ा अनुभव है, जिनका देश ही नहीं विदेशों में सम्मान होता है। हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं वरन् मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री जी या मंत्रिमण्डल इस विषय पर सचेत ही नहीं है। रोजगार की तो दयनीय स्थिति है। मान्यवर, हम लोगों ने प्रयास किया था। मान्यवर, आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी यह बहुत ही अहम विषय है और इस प्रदेश का आंदोलन इसी कारण हुआ। यह ठीक है कि हमारे पास पैसे की कमी है। हम यह जानते हैं इतना पैसा नहीं है कि सबको रोजगार दे सकें। लेकिन इसके लिए साधन तो जुटाने चाहिए। मान्यवर, हमने प्रयास किया था और ऐसी योजना बनाई थी कि जो बेरोजगार लड़के हैं वे कम पैसे में काम करेंगे और उसको उसी क्षेत्र में नौकरी दी जायेगी जहाँ वो रहता है। एक योजना बनाई थी कि उस जिले के जो सबसे क्वालीफाइड लड़का है उसको नौकरी दी जायेगी।

(विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर व्यवधान)

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन नवयुवकों ने बहुत कम वेतन पर काम करना शुरू किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं वे भी इसे महसूस करते होंगे। दूरस्थ अंचलों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली बार आपने 500 रुपया इनका मानदेय बढ़ाया यदि बजट अनुमति दे तो इसे और बढ़ाया जाये। मान्यवर, ए0एन0एम0 जिनकी 20 साल से नौकरी नहीं लगी थी तो हमने सभी ए0एन0एम0 को नौकरी दी थी। एक बार जब मैं अपने क्षेत्र बागेश्वर गया तो मुझे बताया गया कि ए0एन0एम0 को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एवं स्वास्थ्य सचिव से इस बारे में बात की। मान्यवर, यह सरकार में कैसी संवेदनहीनता है कि आप वही कार्य करते हैं जिससे जनता को कष्ट हो। मान्यवर, शायद इन्दिरा जी कुछ कहना चाहती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आपका ध्यान मेरी ओर ही रहता है। (हँसी)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए बोल देना चाहता हूँ कि आपका ध्यान जिनकी ओर आकर्षित होता था वे इस सदन में नहीं हैं, बल्कि उनके सुपुत्र हैं। मेरे ध्यान के लायक तो अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। (हँसी) मान्यवर, भले ही हास–परिहास में माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कही है। वास्तव में जब वरिष्ठ सदस्य भी विषय को समझने

के बजाय या तो बत्ती बुझा देंगे या बात को हंसी में उड़ा देंगे तो मान्यवर, यह स्थिति ठीक नहीं है। इस मंत्रिमण्डल में उत्तरांचल की जनता के प्रति कितना समर्पण का भाव है यह इससे पता चलता है। मान्यवर, आज भी शिक्षक बंधु मुझसे कहते हैं कि यदि हमसे बात कर ली जाये और तीन नहीं बल्कि चार साल में भी यदि हमको रेग्युलर कर दिया जाये तो हम कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मान्यवर, हमने 11 हजार रुपये पर संविदा के आधार पर डाक्टरों को नियुक्त किया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रेग्युलर भर्ती के लिए कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, 179 रेग्यूलर डाक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। केवल 69 ही संविदा पर कार्य कर रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

हम यह भी नहीं कहते कि सरकार आपकी है, आप मुख्यमंत्री हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है परन्तु आप हमसे पूछिये तो। रोजगार के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है। बेरोजगारों के हृदय में आक्रोश की ज्वाला धधक रही है। कल के दिन कहीं ऐसा न हो कि कोई बड़ा संकट यहाँ पर आ जाये कोई विस्फोट हो सकता है। मान्यवर, इसके परिणाम दूरगामी होते हैं 1998 में किसी को यह पता नहीं होगा कि इसके परिणाम आज क्या होंगे। यदि हम या आप लोग भी प्रदेश के हालचाल लेते होंगे तो आप यही पायेंगे कि लोगों में पूर्ण रोष व्याप्त है और लोगों को यही सोचना है कि हमने यह राज्य क्यों बनाया, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं जो रोजगार में थे, मन लगाकर काम कर रहे थे, तो उनको नियमित नहीं किया और उन पर डन्डे बरसा दिये। क्यों हम लोक सेवा आयोग से सारी चीजें लेते हैं कुछ में हम अपने यहाँ के बच्चों को रोजगार दें और 5 साल बाद उनको रेग्युलर कर दें।

मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा कि आपने उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को टेम्परेरी नियुक्त किया था परन्तु जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी तो उसने सबको रेग्युलर कर दिया तो ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। उस समय तो आपने बहुत अच्छा काम किया था परन्तु आज यहाँ पर आपको क्या हो गया है या तो आपकी उम्र के कारण ऐसा हो रहा है या आपको ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। हम यह भी नहीं कहते हैं कि उत्तरांचल में सिर्फ यहीं के लोग रहें बाहर के न आयें परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में देखें हमारे पास पता नहीं कितने शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं। आप पी0सी0एस0 में, पी0पी0एस0 में लोक सेवा आयोग से लाइये। एक तरफ तो आप विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय खोलते चले जा रहे हैं, कल परसों में एक विधेयक विश्वविद्यालय के लिए सदन में आया था अच्छा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आज मैं फिर अखबार में पढ़ रहा था कि एक और खुलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हजारों लड़के शिक्षित हैं और हम इस बजट का क्या करेंगे जब सब बेरोजगार हैं। यदि हमने इसकी ओर नहीं सोचा तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

इस बजट भाषण के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रोजगार के सम्बन्ध में सरकार तत्काल एक नीति बनाये। एक बात और अभी आई है हमारे प्रदेश में सारे काम

प्राइवेट कम्पनियों को दिये जा रहे हैं हम नहीं कहते कि यह गलत है लेकिन जब यह पूछा जाता है कि मई ऐसा क्यों हो रहा है तो बताया जाता है कि पी0डब्ल्यू0डी0 में स्टाफ कम हैं और हजारों लड़के डिप्लोमा, बी0ई0, बी0टेक0 करके खाली बैठे हैं, और आप कहते हैं कि स्टॉफ नहीं है। आखिर हम यह क्या करने जा रहे हैं ? लोक निर्माण विभाग की बात आई है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो सकता बड़ी सड़क बन रही हो परन्तु हमारे विधायकगण हैं तो अपनी निधि से 2–2 किलोमीटर की रोड बनाते हैं, लाखों जे0ई0, ए0ई0 खाली बैठे हैं और आप कहते हैं स्टॉफ नहीं हैं। हमारी सरकार ने 850 जे0ई0 की नियुक्ति करने के आदेश दे दिये थे परन्तु एक साजिश के तहत उनकी कापी फाड़ दी गई और उन्हें आज तक कहीं नियुक्ति नहीं मिली है जबकि यह लोक सेवा आयोग से बाहर कर दिया गया था। सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक ठोस नीति बनानी चाहिए और उसका पालन होना चाहिए, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो आक्रोश उन बेरोजगारों में है वह भयंकर हो सकता है।

मान्यवर, उनकी कापियाँ फाड़ दी गयी और उनको रोजगार देने के विषय में कोई चिन्तन नहीं किया गया, उनको नौकरी देने के लिए कहीं कोई योजना नहीं बनायी गयी। मान्यवर, यह हमारे दिल को छूता हुआ विषय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना समापन भाषण दें, तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ऐसा आश्वासन दें, जो कि पूर्ण भी हो। तभी यह लगेगा कि इस बजट का उत्तरांचल के लोगों के लिए कोई उपयोग हुआ है। मान्यवर, कल मुझे पता चला कि शिक्षा बन्धुओं पर डण्डे चलाये गए।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, शिक्षा बन्धुओं के प्रकरण को बार–बार सदन में लाकर माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या संदेश देना चाहते हैं ? हमारी शिक्षा बन्धुओं से बात हो गयी है, हमने यह भी कहा है कि हम उनकी नौकरियाँ पूर्वतः बरकरार रख रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर विषय पर बोलूँ। हो सकता है कोई विषय मुझ से छूट जाए। मान्यवर, मैंने उस दिन भी कहा था कि बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है। यह तो वही बात हुई जैसे, फ्रांस की क्रान्ति के समय वहाँ की महारानी लुई–16 ने जब अन्दर से पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं ? तो उन्हें बताया गया कि ये ब्रेड मांग रहे हैं। इस पर महारानी ने कहा कि इन्हें केक क्यों नहीं दे देते। इसी प्रकार हमारी सरकार का कहना है कि इनको डण्डे क्यों नहीं दे देते हो ? रोजगार देने के बजाय सरकार उनको डण्डे देने का कार्य कर रही है। इस विषय को उठाने के पीछे मेरा उद्‌देश्य यह नहीं है कि उत्तेजनापूर्ण माहौल बनाया जाय। मेरा उद्‌देश्य यह है कि इस तरह की घटनाओं से हम सबक लें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा घटित न होने पाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि जब वे अपना समापन भाषण दें तो उसमें रोजगार की स्पष्ट नीति की घोषणा आप अवश्य करें। जिससे जनता में यह संदेश जाएगा कि वास्तव में सरकार इस प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना चाहती है।

मान्यवर, आज प्रश्नकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न गन्ना किसानों के सम्बन्ध में उठा था। मान्यवर, आपने 190 करोड़ रुपये की क्या व्यवस्था की है ? मान्यवर, एक कठिनाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा सम्मान है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि भीष्म पितामह का पूरा सम्मान ही उनके लिए बाण नहीं वाक बाणों का प्रयोग करें। बड़ा अजीब सा लगता है अर्जुन के सामने शिखण्डी खड़ा था वह इसलिए बाण मारता था। हमारे मुख्यमंत्री जी नारायण दत्त तिवारी जी हैं, वह यहाँ पर हैं यह हम सबको अच्छा लगता है। मान्यवर, 190 करोड़ रुपया ऐसा लगता है कि यह दुनिया का 11वां आश्चर्य होगा, वह उत्तर देते हैं कि हमने केन्द्र से 84 करोड़ रुपये की माँग कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि 190 और 84 करोड़ रुपये माँगने में हमारा सब कुछ इसमें लग जायेगा। हमारा सारा का सारा बजट केन्द्रीय सहायता का है या कर्जों पर निर्भर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार देश है। मान्यवर, किसान ने क्या बिगाड़ा 100-50 करोड़ नहीं ले सकते, इसका सीधा अर्थ यह है कि उसके रोजगार के बारे में उसकी ग्रेविटी के बारे में हमने सोचा नहीं है। हमारी पार्टी है उसमें अन्तर्कलह से फुरसत नहीं है, किसानों से किसको फुरसत है। आज यह बड़ी विडम्बना है, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष जी यह बड़ा अहम मुद्दा है इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। आपने इस पर सार्थक पहल नहीं की। निश्चित रूप से उनका पेमेंट तुरन्त करना चाहिए। मान्यवर, आपको इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। सामने बैठे हुए लोग इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ही इसे गम्भीरता से लें ऐसा नहीं है। सभी मंत्री भी मेरी बात को गम्भीरता से लें। किसान जो देश की रीढ़ है अगर उसे सही समय पर भुगतान नहीं होगा तो देश व प्रदेश कैसे उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। मैं चाहूँगा कि एक सप्ताह के अन्दर किसानों को कम से कम 50 प्रतिशत मिलना ही चाहिए। किसान की रीढ़ तोड़ने के बाद हम कोई भी अच्छा काम प्रदेश के लिए नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में शासन तथा प्रशासन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज कल अखबारों में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन यह न छपा हो फलाँने व्यक्ति को लूट लिया गया या फिर फलाँने व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो। कोई भी दिन आप बता दें। अब तो एक नई चीज देखने को मिल रही है कि फलाँने व्यक्ति द्वारा जहर खा लिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोग त्रस्त हैं, व्यथित हैं सरकार के कार्यों से कुण्ठित हैं। लोग जहर खाने को मजबूर हैं। किसी भी प्रदेश के विकास में कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो जितनी वारदातें 2000 में हुई उससे कम 2001 में हुई होंगी। अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम वारदातें हुई होंगी। लेकिन जो अखबारों के माध्यम से रोजाना छप रहा है घटित हो रहा है, तो उससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि प्रदेश अशान्त है।

मान्यवर, बजट में विकास की बात कही गई इससे हम भी असहमत नहीं हैं लेकिन जब तक प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नहीं होगी, बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा और किसानों के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो प्रदेश का विकास कैसे होगा ? मान्यवर, अगर आप बजट भाषण का अध्ययन करेंगे तो नॉन-प्लान में वर्ष 2002-03 में कुल खर्च

आपने तय किया, चार हजार दो सौ छः करोड़ रुपया तथा प्लान में दो हजार एक सौ छयासठ करोड़ रुपया। जबकि 2003–2004 में आपने पाँच हजार तीन सौ चौहत्तर करोड़ नॉन–प्लान में तथा प्लान में दो हजार सात सौ पन्द्रह करोड़ रुपया खर्च करना तय किया है। नॉन–प्लान में 1168 करोड़ रुपये का अन्तर है।

मान्यवर, इस बजट में 1168 करोड़ रुपया आयोजनागत में बढ़ाया है, जबकि योजनागत में 549 करोड़ रुपया बढ़ाया है। इससे ऐसा लगता है कि हम कितना अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, इसमें प्लान योजना में कहाँ से खर्चा करें इसका भी वर्णन नहीं है। मान्यवर, पिछली बार इस सरकार ने अखबारों में छापा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से अधिक पैसा हमने 1533 करोड़ रुपया पास किया, लेकिन इसमें आपने क्या काम किये हैं इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि सरकारी आंकड़ों पर ही विश्वास किया जाय तो विगत वर्ष का कुल बजट 2166 करोड़ रुपया का था। इसमें आपने जो खर्चा किया है वह 1449 करोड़ रुपया। इसमें भी जो खर्चा किया वह अकेले सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के अन्तर्गत 633 करोड़ रुपया खर्च किया है। मान्यवर, सोशल वेलफेयर के अन्तर्गत 1127 करोड़ रुपये में से केवल 66 लाख रुपये खर्चा हुआ। इसी तरह से पेयजल के अन्तर्गत 191 करोड़ 38 लाख रुपया था, जिसमें से 163 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया परन्तु इसमें से खर्चा केवल 63 करोड़ रुपये हुए। मान्यवर, दुःख तब होता है, जब कोई सत्ता दल के लोग काम नहीं करते हैं और आरोप केन्द्र सरकार पर लगाते हैं। यहाँ पर यही कहावत चरितार्थ होती है– "नाच न जाने आँगन टेढ़ा"।

मान्यवर, आप अपना काम तो कर नहीं सकते, जो पैसा मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर सकते और फिर दोष केन्द्र को देते हैं। मान्यवर, मेरे पास गन्ने की रिपोर्ट आई जिसमें है कि 177 करोड़ रुपया है और बाद में पता चला कि 190 करोड़ रुपया पहुँच गया है और फिर लोगों को बयान देते हैं कि केन्द्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मान्यवर, मैंने सदन में कहा था कि "उत्तरांचल इज अवर मिशन"। मान्यवर, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जब आप चाहें हम केन्द्र को चलने के लिए तैयार हैं। मान्यवर, केन्द्रीय मंत्रियों पर ऐसे आरोप लगाये जाते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं है। मान्यवर, सड़कों का पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ और कहते हैं कि हमने तो पूरा खर्च कर डाला। मान्यवर, ग्रामीण विकास में अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आपके लिए 137 करोड़ रुपया मंजूर था और उसी 137 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ रुपया आपके पास आ गया, पर उसमें अभी तक 7 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति है और उसके बाद केन्द्र पर दोषारोपण करते हैं कि केन्द्र सरकार ने हमारा पैसा नहीं बढ़ाया।

मान्यवर, आप को पता है कि 2007 तक प्रधानमंत्री की योजना है। मान्यवर, वन अधिनियम में केन्द्र सरकार से इतना समय नहीं लगता है जितना समय आपके डी०एफ०ओ० रेंजर के स्तर पर लगता है। मान्यवर, पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आया था कि 800 गाँवों को विद्युतीकरण करेंगे। मान्यवर, अगर आप उन्हीं सरकारी किताबों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2002–2003 की योजना पूरी नहीं हुई और आप कहते हैं कि 800 गाँवों का विद्युतीकरण करेंगे।

मान्यवर, जो 2002 की योजनाएँ थीं उनमें से 240 में से 150 का भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, कारण यह है कि कोई चिन्ता ही नहीं है, कोई डरता ही नहीं है। अखबारों में बार–बार यह छप जाए कि माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएँ और यह कहें कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। मान्यवर, यदि ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा प्रदेश। इससे ज्यादा नुकसान तो जनता का ही होगा। आप बजट का भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पी0डब्ल्यू0डी0 तक का पैसा, सी0आर0एफ0 तक का पैसा लैप्स हो गया, अब लोग यह कहेंगे कि लैप्स नहीं हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं नियम बता दूँ सी0आर0एफ0 का पैसा लैप्स नहीं होता।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चलिए ये मान लिया कि सी0आर0एफ0 का नहीं हुआ, किन्तु और तो हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने हमें दिया ही नहीं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, राष्ट्रीय मार्गों पर किस तरह से पैसा वापस गया है और जो स्वीकृत पैसा प्रदेश सरकार को आता है उसमें 9 प्रतिशत सैंटेज चार्जेज मिलते थे। बार–बार यह कहने के बाद सरकार, केन्द्र को जवाब दे रही है कि पी0आर0एस0आर0पी0 को इतना, अदर रोड्स को इतना और एफ0बी0आर0 को इतना पैसा वापस चला गया। मान्यवर, यह इतना पैसा लैप्स हो गया, और बाहर बार–बार कहा जाता है कि कोई पैसा लैप्स नहीं हुआ। इससे तो हम अपने को ही धोखा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि नहीं हो पाता है तो इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, कभी–कभी नहीं भी हो पाता है। मान्यवर, लेकिन जो पैसा केन्द्र से शुरू में, मार्च में साल भर पहले आता है उसे क्यों नहीं खर्च किया जाता है, इसका अर्थ यह है कि हम वास्तव में न तो कहीं सजग हैं और न ही हमें कोई चिन्ता है। मान्यवर, जिम्मेदार मंत्रीगण बयान देते हैं कि तुम लगा दो आरोप, जनता ने तो हमें लोकसभा में जिता दिया, पंचायत में जिता दिया, मान्यवर, इतना अहंकार तो रावण भी नहीं करता था। आप बहुमत में हैं, बहुमत में आने का अर्थ यह तो नहीं है कि आप अपने दायित्वों को न निभायें। मान्यवर, इस प्रकार से तो सरकार नहीं चलेगी, सत्ता नहीं चलेगी, प्रदेश नहीं चलेगा। मान्यवर, यदि इसी तरह से चलता रहा तो प्रदेश कहाँ जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, यदि पिछले बजट से इस बजट में कोई अन्तर है तो यह है कि उन्होंने बड़ी होशियारी से क्योंकि वे अनुभवी व्यक्ति हैं और वे सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि इस बार शुद्ध घाटा कितना है, बोले शुद्ध घाटा तो उसमें 382 करोड़ रुपये का है।

मान्यवर, शुद्ध घाटा 382 करोड़ रुपया आपने इस बजट में दिखाया है। ऐसा लगता है कि अगर इस बजट को सेन्ट्रल के पास भेज दिया जाए तो वे कहेंगे कि इनको

तो पैसे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका शुद्ध घाटा 382 करोड़ रुपये है जब आपको इतना कम घाटा हो रहा है तो आपको देने की क्या जरूरत ? केवल 382 करोड़ का घाटा यह तो बहुत अच्छा है। मान्यवर, मैं तो चाहता हूँ कि यह अगली बार और कम हो जाए। मान्यवर, आखिर बजट का घाटा कितना है। अगर ऐसा ही कहा जाए तो हम कहेंगे कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छी थी सन् 2001–2002 में। अंतिम शेष 641 करोड़ दिखा रखा है। हमारे ख्याल से 2001–2002 की स्थिति अच्छी थी। वास्तव में अंतिम समय में केन्द्र सरकार से पैसा आता है लेकिन अंतिम शेष 641 करोड़, इसका मतलब शेष पूरा है इसलिए घाटा कम हो गया है, इसमें लगता है कि आप कोई चमत्कार करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। किताब कह रही है कि राजकोषीय घाटा जो 2001–2002 में 424.19 करोड़ रुपया रहा था।

माननीय मुख्यमंत्री जी वित्तीय मामलों के ज्ञाता हैं और उनके साथ बैठकर माननीया इन्दिरा जी ने भी बहुत कुछ सीख लिया है। आप कह रहे हैं कि यह 1958 करोड़ हो जायेगा। एक ओर आप कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा 1958 करोड़ हो जायेगा और दूसरी ओर कहते हैं कि कुछ घाटा नहीं। इतना बढ़िया बजट दे रहे हैं कि केवल 300 करोड़ हमारा घाटा होगा। हम बहुत ही अच्छा बजट दे रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते कि आपका घाटा 300 करोड़ आए। लेकिन मान्यवर, इस प्रदेश को अगर चलाना है इस प्रदेश को ठीक करना है। हम जानते हैं कि यह चिन्ता केवल आप ही की नहीं सबकी है तो आपको कहीं न कहीं दिखाना पड़ेगा। आपको अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना होगा।

मान्यवर, इसके लिए सोचना पड़ेगा लेकिन कहीं पर भी आपने इसका जिक्र नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर–नवम्बर में कहीं सारे देश में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव न हो जायें इसलिए अभी से ही कड़े कदम न उठाये जायें। पार्लियामेन्ट के चुनाव नजदीक देखकर ही कड़े कदम नहीं उठाये गये हैं। पं0 दीन दयाल जी जब भाषण करते थे तो कहा करते थे कि हमको जनहित को ध्यान में रखना चाहिए, केवल जनता की प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। केवल जनता की प्रशंसा के लिए हमें अपना बजट नहीं बनाना चाहिए। कल को यदि कोई चीज खराब हो जायेगी तो उसके लिए सत्ता दल को आरोपित किया जायेगा।

मान्यवर, जैसा कि कहते हैं कि न ऊधो में न माधो में, वैसा ही यह बजट है। मैं नहीं कहता कि टैक्स लगना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस बजट के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। बजट में घाटा बहुत कम कर दिया गया है इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी काफी अनुभवी हैं और कोई न कोई रास्ता वे जरूर निकालेंगे कि प्रदेश की आय बढ़े, प्रदेश के विकास के कामों को गति मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही खर्च पर लगाम न लगा सके हों, लेकिन कम से कम माहौल को तो स्थिर बनाये रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के क्षेत्र में आगे कुछ काम करेंगे, किसानों का हित करेंगे और उत्तरांचल प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में एक हो सके इसके लिए अवश्य ही काम करेंगे। बिजली के क्षेत्र में आपने कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। जिस ढंग से टिहरी का जो मामला सुलझा हुआ था, उसे आपने 3 साल पीछे कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी आप अगर अपने भाषण में इसका संकेत देंगे तो इसके माध्यम से इस प्रदेश की निराश–हताश जनता को कुछ आशा की

किरण दिखाई देगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जब मैं अन्तिम भाषण दूँगा तो शायद मुझे इतना तगड़ा विरोध न करना पड़े। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। श्रीमन्, जो शहर और गाँव के बीच की खाई है दिन–प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और प्रस्तुत बजट में इस खाई को पाटने को कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। श्रीमन्, यह उत्तराखण्ड और देश के भविष्य के लिए शुभ लक्षण नहीं है। आज हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जो हर तरह के अभावों को दूर करने में सक्षम है और दूसरी ओर समाज का एक दूसरा वर्ग जो हर तरह के असमानता और असंतुलन का शिकार बना हुआ है। आज इस प्रकार से इस असमानता को पाटने के लिए जो कार्य योजना होनी चाहिए, प्रस्तुत बजट में यह कहीं नहीं है। आर्थिक रूप से प्रदेश का यह विभाजन हो रहा है। यह खतरे की घंटी है। यदि इस विभाजन को दूर करने के प्रयास नहीं किये गये तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भविष्य में उत्तराखण्ड में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता हुआ पलायन इस बात का संकेत है कि विकास की जो योजनायें यहाँ पर चल रही हैं वे आधी अधूरी और दिशाहीन हैं, अगर विकास हो रहा है तो वह असमानता की जो खाई है वह और चौड़ी बनाती जा रही है। ऐसे विकास को विकास नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से जो समाज में असंतुलन है उस सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे। जो आदमी सुबह से शाम तक हाड़–तोड़ मेहनत करता है जो किसान हैं क्या उन तक विकास की रोशनी पहुँच रही है जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं टिहरी में गंगी, उत्तरकाशी में लिवाड़ी और पिथौरागढ में रंग और सिपू जहाँ यातायात की कोई सुविधा नहीं है उनके लिए यातायात की सुविधा देने के लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है ?

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो पर्यावरण अधिनियम, वन अधिनियम के कारण जहाँ पर रोड नहीं बन पा रही है, जो फारेस्ट की जमीन है या जो डेंस फारेस्ट हैं जिनके लिये मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो सकता है वहाँ पर रज्जु मार्ग बनाये जाने का कोई प्रावधान बजट में नहीं है। सुदूरवर्ती इलाकों में विकास की रोशनी पहुँचाना इस बजट का मुख्य कार्य होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि देहरादून, नैनीताल या मसूरी इस क्षेत्र के गरीबी के प्रतिनिधि नहीं हैं। हमें वह क्षेत्र देखने चाहिए जहाँ पर दो दिन, तीन दिन लगातार पैदल चलना पड़ता है, जहाँ पर मोटर मार्ग तो दूर किसी चीज की सुविधा नहीं है और दैविक आपदा के कारण बूढ़ाकेदार क्षेत्र के अगुण्डा निवाब, मेड़ आदि पूरे के पूरे गाँव खंडहर बनने की स्थिति में आ गये हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, इस बजट को पर्वतीय क्षेत्र के दूरवर्ती गाँवों के खिलाफ बजट कहा जा सकता है। मान्यवर, बूढ़ाकेदार व बासर क्षेत्र के किसान, जिनकी नहरें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिनके पास सिंचाई के संसाधन नहीं हैं, उनकी नहरों के रख–रखाव के लिए इस बजट

में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में पर्यटन के इश्यू पर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की बात की गयी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास खण्ड भिलंगना के घनियाला क्षेत्र के अन्दर चार प्रतिभागियों को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना के अन्तर्गत चुना गया, किन्तु इन चारों प्रतिभागियों, जिनका बाकायदा चयन किया गया, को आज तक बैंक से ऋण दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरा कहने का आशय यह है कि आप कितनी भी नीतियाँ क्यों न बना लें, जब तक आपकी नीतियाँ जमीन पर नहीं उतरतीं, उन नीतियों की रोशनी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँचती, तब तक आप लाख आंकड़ों के खेल खेल लें, उनका विकास होने वाला नहीं है।

मान्यवर, आज टिहरी बाँध से मिलने वाले पानी पर कई राज्यों की नजरें लगी हुई हैं। टिहरी बाँध के जलाशय में करीब 4000 क्यूसिक पानी इकट्ठा होगा इससे 300 क्यूसिक पानी मिलने से दिल्ली को पेयजल संकट से उबरने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार इस बाँध के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकारों के बीच में करार हो गया है, किन्तु इस विषय पर उत्तरांचल सरकार की कोई सम्मति नहीं ली गयी। मेरा कहने का मकसद यह है कि जहाँ इतना बड़ा बाँध बनाया जा रहा है, उस क्षेत्र के लोग सिंचाई के संसाधनों के लिए परेशान हैं तथा पानी की एक-एक बूँद के लिए तरस रहे हैं, उस क्षेत्र की धरती पानी के लिए प्यासी है, लेकिन वहाँ के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है, इसके लिए इस बजट में भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। लेकिन दूसरे राज्य, जिनकी निगाहें टिहरी बाँध पर टिकी हुई हैं, उनके लिए पूरी-पूरी व्यवस्था की गयी है और उनके लिए कार्ययोजना शुरू भी हो गयी है। इतना ही नहीं उनके द्वारा कार्य शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। टिहरी की ही तरह उत्तरांचल के तराई क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, टिहरी बाँध निर्माण से भागीरथी घाटी और भिलंगना, बालगंगा घाटी की सबसे उर्वरा भूमि डूबने जा रही है, असेना, पटागली, देवल, खोंटी, पिपोला पिलखी, नन्द गाँव, बड़कोट जैसे सैकड़ों गाँव उजाड़ और खण्डहर में तब्दील हो रहे हैं उनको समुचित पुनर्वास और पेयजल तथा पुश्तैनी अधिकारों को देने में पुनर्वास निदेशालय नाकाम रहा है। वहाँ पर पेयजल की बड़ी समस्या है पिछले एक हफ्ते से नई टिहरी में पानी नहीं है और जो प्रक्रिया चल रही थी कि एक समय में पानी आता है शाम को पानी दिया जाता है, बीच में सब चीजें बाधित हो चुकी हैं। यह बुनियादी सवाल है जिसे लेकर क्षेत्र में लोग परेशान हैं, उनके धान की रुपाई की व्यवस्था प्रदेश सरकार के पास नहीं है, इस बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा हनुमन्त राव कमेटी की सिफारिशों में कटौती करना विस्थापितों के साथ न्याय नहीं है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को केन्द्र पर हनुमन्तराव कमेटी की सिफारिशों को मनाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। यह कैसी विडम्बना है कि टिहरी बाँध के जलाशय

से दूसरे राज्यों की पेयजल व सिंचाई हेतु कार्य योजना पर तो काम चालू किया गया, किन्तु टिहरी व उसके आस–पास के गाँवों को पेयजल व सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने हेतु सरकार के पास कोई कार्य योजना अभी तक नहीं बन पाई है।

इस बजट में पर्यटन का आधारभूत ढाँचा तैयार करने में सरकार नाकाम रही है। गंगोत्री मटवाडी बूढाकेदार घुत्तु, पंवाली कांठा, त्रिजुगी नाराण पद यात्रा पर जगह–जगह पद यात्रियों के रुकने के लिए 150 वर्ष पूर्व चट्टियाँ व बाबा काली कमली की धर्मशालायें बनी थी वह जीर्ण शीर्ण व खण्डहर बन चुकी हैं उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस व जीर्णोधार करने की बजट में कोई प्रविधान नहीं किया गया है। चार धाम यात्रा की तो बात की गई है यह स्वागत योग्य भी है लेकिन जो छोटे–छोटे आकर्षक पर्यटक स्थल हैं जैसे जराल ताल, सज्याड़ताल, मासर ताल, लम्बताल, विंग ताल, क्यारखो बुग्याल, खतलिंग ग्लेशियर, पंवाली कांठा, जगदीशिला, रतकोट, भासरताल, बालासुन्दरी, माणिक नाथ के पर्यटन विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा कहना है कि इन आकर्षक पर्यटक स्थलों को विकसित कर रोजगार की सम्भावनाओं को अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बजट में विकास का क्षेत्रीय असंतुलन भी चिन्ता का विषय है। एक ही राज्य के अन्दर एक ओर आधुनिक सुविधाओं से लैस विकसित क्षेत्र हैं तो दूसरी ओर एक बड़े क्षेत्र गंगी गेंवाली, पिनवाड़, मेड, मेल्ड गाँव, कोट बनोली, रगड़ीम्पार, पटुड गाँव, सिरपुनोली, बणपुरी स्यूरी में विकास की एक छोटी किरण भी नहीं पहुँच पाई है। जीवन की बुनियादी सुविधाएँ तक वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। उत्तरांचल में शिक्षा विभाग में गतिशीलता लाने के लिए उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए। अशासकीय और शासकीय विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए तत्काल निर्देश दिए जायें और अशासकीय विद्यालयों को वित्त सहित मान्यता देकर पद सृजन की कार्यवाही प्रभावी होना चाहिए। इस हेतु शासन स्तर पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, आज हमारे बीच में माननीय नेता सदन उपस्थित हैं। जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी हैं। मैं उनको एक पहेली सुनाना चाहता हूँ, उस पहेली से वह समझ जायेंगे कि बिजली के सम्बन्ध में लोगों ने क्या राय बना रखी है अपने मन में। "एक बार एक आदमी बच्चों के झुण्ड के पास गया और बच्चों से कहने लगा तुमको एक पहेली सुनाता हूँ उसका उत्तर बताओ। उसने बच्चों से पूछा, जो कभी–कभी आती है लेकिन बिना कहे चली जाती है फिर भी दाम अपना पूरा ले जाती है वह कौन सी चीज है ?" तो बच्चों ने कहा वह बिजली है। तो लोगों की बिजली के बारे में यह राय है। मान्यवर, मैं नौ हजार फिट की ऊँचाई में बसे सिलोस के गाँव उखवाण गाँव का भ्रमण करने गया तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि जो बिजली के पोल वहाँ पर लगे हैं वे सड़ चुके हैं। बिजली के तार झूल रहे हैं। बिजली के खम्भे धरती को सलाम कर रहे हैं। मान्यवर, वहाँ के एक गाँव उखवाण में पिछले दिनों एक कृषक हल चलाने के लिए गया, उसका बैल बिजली के झटके से मर गया और वह कृषक भी घायल हो गया। उसके बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया और उसका एक हाथ डॉक्टरों को काटना पड़ा। मान्यवर, एक माह पूर्व की बात है डालगाँव ग्रामसभा में एक महिला दूध दुहने अपने गौशाला

जा रही थी, झूलते हुए बिजली की तारों में उसका पाँव फँस गया, उसका पति उसको बचाने के लिए गया तो वह मर गया और वह महिला घायलावस्था में है।

मान्यवर, यह गम्भीर बुनियादी सवाल है, लोगों के दुख–दर्द का मैं एक उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। यह परेशानियाँ केवल मेरे क्षेत्र की ही नहीं है, यह समस्या पूरे उत्तरांचल की है। इस व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन करने के लिए मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि माननीय नेता सदन जिन्होंने पूरे प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्पबद्ध नारा दिया है यह मात्र नारा ही न रह जाए, बल्कि यह नारा साकार रूप भी ले। जो साधनहीन लोग हैं, दूरस्थ इलाके के लोग हैं, जहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है वहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। हिन्दाव गाँव में पूरी पट्टी में बिजली के तारें नहीं गयी हुयी हैं। कठूड़ हिन्दाव में बिजली नहीं पहुँची है। गोनगढ़, बासर, कोटी फैगुल, धोपड़, गोनगढ़, थाती कठूड़ न्याय पंचायत में बिजली की व्यवस्था नहीं है। पिन्सवाड़ तोली, एवं अखाणा में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, जो दूरवर्ती गाँव हैं, उन पर बजट की रोशनी पड़नी चाहिए। मान्यवर, लोग यह नहीं जानते हैं कि बजट के आंकड़े क्या होते हैं लोग चाहते हैं बजट की रोशनी उनके गाँवों तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे क्षेत्र के लोगों की समस्या को इस बजट के भाषण के माध्यम से यहाँ पर रखने का मौका दिया।

*चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए सबसे पहले किसानों के हितों की बात कहूँगा। इस बजट में गन्ने का रेट निर्धारण नहीं किया गया है, गन्ना किसानों का अभी 190 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। माननीय मंत्री जी को यह भी अवगत होना चाहिए कि गन्ने की दो फसलें होती हैं अगेती तथा पछेती। अगेती का मूल्य पछेती से 5 रुपया अधिक होता है। मैं समझता हूँ इसमें यह 5 रुपये का अंतर नहीं दर्शाया गया है। गन्ना मूल्य निर्धारण की नीति भी इस बजट में नहीं निर्धारित की गयी है। अच्छा होता सरकार यह कहती कि उत्तरांचल के गन्ना किसानों का गन्ना पहले लिया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना बाद में लिया जायेगा। अच्छा होता काश्तकारों का जो भुगतान अभी तक लम्बित है, उस पर उन्हें इन्ट्रेस्ट की घोषणा की जाती। मान्यवर, इसमें यह प्राविधान भी होना चाहिए था कि जिस समय काश्तकार का गन्ना मिल मालिक उठाते हैं, यदि उसी समय भुगतान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होती। मान्यवर, जो गन्ना मिलों पर कम्प्यूटरीकृत कांटे से तोला जाता है, वह कैसे तोला जाता है, इसकी जानकारी किसानों को ज्यादा नहीं होती है इसमें यदि एक ग्राम भी ज्यादा होता है तो हर कम्प्यूटरीकृत कांटे पर यह बढ़ जाता है, जिससे किसानों का नुकसान होता है। अच्छा होता इसके लिए बट्टों का प्राविधान किया जाता।

मान्यवर, अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूँ। इस बजट में कृषि के लिए 34.47 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो पूरे बजट का कुल 0.43 प्रतिशत है, इसी से यह जाहिर होता है यह सरकार किसानों की कितनी हितैषी है। अच्छा होता कि कृषि को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाता, फसल भूमि योजना की घोषणा की जाती तथा धान के फसल की घोषणा की जाती। मान्यवर, जैसे पहले सत्र में देहरादून को लीची बेल्ट तथा ऊधम सिंह नगर को बासमती बेल्ट घोषित किया था, उसी तरह से मान्यवर, अच्छा होता कि अगर सरकार हरिद्वार के आम के बागों को आम बेल्ट से घोषित करे, जिससे वहाँ के लोग आम को ज्यादा पैदा करते।

मान्यवर, पिछड़े वर्ग की बात ले लें तो मैं भी पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में पिछड़े वर्ग के लिए जो बजट दिया गया है वह 0.26 प्रतिशत है, जबकि उत्तरांचल में पिछड़ों की संख्या 14 प्रतिशत है। तो मैं समझता हूँ कि पिछड़ों के लिए यह बजट कितना कल्याणकारी सिद्ध होगा यह सरकार ही सोच सकती है। मान्यवर, जब मुकदमा चलता है तो नियम यह होता है कि एक अदालत में फैसला हो जाता है तो उसकी अपील दूसरी अदालत में की जाती है। मान्यवर, चकबन्दी के मुकदमे में ऐसा होता है कि फैसला एक पक्ष में कर दिया जाता है और फिर दूसरे पक्ष से सुविधा शुल्क लेकर दूसरे के पक्ष में फैसला कर दिया जाता है। मान्यवर, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं आग्रह करूँगा कि कम से कम यह प्रक्रिया बदल दी जाए। मान्यवर, जो अदालत एक बार निर्णय दें और उसके बाद जो निर्णय हो तो वह दूसरी अदालत में हो। मान्यवर, अन्त में मैं यही कहूँगा कि यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़े वर्ग की विरोधी है और यह जो बजट पेश किया गया है उसे मैं दिल की गहराई से विरोध करता हूँ। मान्यवर, मैं एक शेर सुनाता हूँ :

दिल से पहले अंधेरा निकालना होगा,
फिर उसके बाद उजाला लाना होगा।
ऐ जमीन पर चाँद सितारे ढूँढने वालो,
तुम्हें जमीन पर आसमां उतारना होगा।।

*श्री तसलीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अभी चौधरी साहब ने बताया कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। मान्यवर, इस बजट के अन्दर देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस बजट में किसान, मजदूर के लिए कोई हित की बात नहीं सोची गई। मान्यवर, जब किसान अपने खेत को जोतकर बीज का प्रबन्ध करता है और बीज डालने के बाद फसल होती है। मान्यवर, किसान की फसल सूखे से नष्ट हो जाती है या जंगली जानवरों के आतंक से फसल नष्ट हो जाती है और किसान अपनी फसल के लिए बैंक से खाद, बीज आदि के लिए उधार लेकर अपने खेत में फसल बोता है और जब फसल नष्ट हो जाती है तो उसे इतना भी मुआवजा नहीं मिलता जितनी वह लागत लगाता है।

मान्यवर, उसका तो उसे कुछ मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन उसके बीज और जोत का भी नहीं मिलता। मात्र जैसे गन्ने की फसल है उस पर बताया कि गन्ने की फसल नष्ट हो जाए तो लगभग उसे रु0 1,000/– मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था लेकिन गन्ने की लागत कम से कम इस वक्त में रु0 7,000/– प्रति एकड़ के हिसाब से लागत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही लागत आ रही है, धान और गेहूँ की लागत लगभग रु0 4,500/– प्रति एकड़ पर उसकी बीज और जुताई, सिंचाई वगैरह इतनी लागत काश्तकार की है, लेकिन आज इस बजट के अन्दर किसान की फसल नष्ट होने पर कोई भी इसमें ऐसा समाधान नहीं किया गया कि जो कर्ज उसने लिया है वह उसे कहीं से लेकर चुका दे। इस बजट के अन्दर देखने से यह भी पता लगता है कि बिजली की बात कही गयी है, अभी हमारे एक नेता ने जो बताया था कि तारों की वजह से या जो लाइनें नीचे लटक गयी हैं उसमें दुर्घटनाएँ इतनी हो रही हैं कि पशुओं को तो नुकसान होता ही है, मेरे खुद के गाँव की जो बात है कई पशु और व्यक्ति मर चुके हैं, और उन्हें यदि कोई मुआवजा दिया जाता है तो सिर्फ रु0 10,000/–। मान्यवर, दो साल पहले ही एक दुर्घटना में एक लाइन खेत से होकर गुजर रही थी और वह लाइन इतनी कमजोर थी कि तार टूटकर खेत में पड़ा था, दो मजदूर जो बाप–बेटे थे, उस खेत से गुजरे और लड़के का पैर तार पर आ गया तो उसके पिता ने पकड़ा और दोनों जलकर खाक हो गए। मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर डाँग के क्षेत्र में यदि कोई गाड़ी, गन्ने के ट्रक या ट्राली गुजरे और ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो तो वह बगैर मौत के वहाँ से गुजर नहीं सकता। कई बार वहाँ लाइन टूट चुकी है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में यदि बिजली के बारे में भी कहें तो एक बात सामने आती है कि वन विभाग का टुकड़ा है वहाँ पर और वहाँ से बिजली नहीं पहुँचायी जा सकती। यदि बिजली की लाइन खम्भों के माध्यम से पहुँचायी जायेगी तो जंगल को नुकसान हो जायेगा। मान्यवर, तो इसमें ऐसा नहीं लगा कि कोई दूसरी नीति बिजली के लिए अपनायी गयी हो जिससे हवा में पेड़ों से उसका बचाव हो सके, जैसे कि टेलीफोन के अन्डरग्राउण्ड तार बिछाए जा रहे हैं तो इस तरह से हवा और दुर्घटना से बचा जा सकता है, इसकी भी कोई नीति बजट में नहीं है।

मान्यवर, आज पानी की समस्या इस कदर है कि जहाँ तीन–तीन मील पानी नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में नोरोवाला है, तपड़ोवाला है, आर्य नगर है, वहाँ आज तक पानी की इतनी समस्या है कि वहाँ तीन–तीन मील से पानी लाना पड़ता है। इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। हमने इसकी माँग भी की तो एक बहाना है कि स्वजल वाली योजना है जो 2005 तक पूरी होगी। उसमें जो सर्वे कर रहे हैं वे गाँव में समितियाँ बना रहे हैं वे 10–15 प्रतिशत तक जमा करा रहे हैं लेकिन डेढ़ साल हो गया है समितियों के बने। लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं किया जा सका है।

मान्यवर, दूसरा जमीन के कटाव की बात। मान्यवर, हम इस सम्बन्ध में पहले भी कह चुके हैं कि अगर किसान की जमीन कटती है और उसका नुकसान होता है भूमि संरक्षण में। इसमें बार–बार कहा गया है कि इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि अगर हमारे पास भूमि ही नहीं होगी और इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इससे किसान का तो नुकसान होगा ही साथ में राज्य सरकार का भी नुकसान होगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बड़ी गंगा बह रही है वहाँ एक कटाव हो रहा है अभी भी मई जून के महीने

में भी कटाव जारी है इससे बहुत नुकसान किसान को हो रहा है वहाँ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है दूसरा चमरिया गाँव है वहाँ पर कटाव हो रहा है लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है कि इस कटाव को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा सकता है। मान्यवर, मैं इस बजट से कतई संतुष्ट नहीं हूँ।

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ और अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी सरकार विकास पुरुष श्री नारायण दत्त तिवारी जी के दक्ष एवं कुशल नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य के द्रुत एवं चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। नया राज्य, नयी संरचना, विकास पथ पर नयी यात्रा जहाँ पग–पग पर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता ही नहीं अपितु बाध्यता हो, उसके बावजूद भी उत्तरांचल की 85 लाख जनता का सम्मान करते हुए हमारी सरकार द्वारा उत्तरांचल के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। वित्तीय प्रबन्धन के क्षेत्र में ऋण बदली योजना का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार ने अधिक ब्याज दर के ऋणों के स्थान पर कम ब्याज दर पर ऋणों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जिसके तहत प्रति वर्ष लगभग 35 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण प्राप्तियों में कमी होगी। यह एक सराहनीय प्रयास है। मान्यवर, यही नहीं नये राज्यों के गठन के बाद, उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद हमेशा कर्मचारियों का वेतन समय पर दिये जाने की सबसे बड़ी चुनौती रही है परन्तु हमारी सरकार ने कर्मचारियों का वेतन न केवल समय पर दिया बल्कि एकीकृत वेतन एवं भुगतान प्रणाली लागू कर एवं कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, विश्वविख्यात सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान माइक्रोसाफ्ट के अध्यक्ष, श्री बिल गेट्स के साथ परामर्श के बाद साफ्टवेयर एवं उत्पादों को हिन्दी भाषा में विकसित करने के लिए देश में प्रथम प्रयोगशाला भी उत्तरांचल राज्य में स्थापित की जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, सरकार अपने दक्ष, कुशल एवं अनुभवी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य को हर्बल स्टेट एवं ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने का जो संकल्प लिया है इससे यह कहावत सार्थक होती दिखती है कि अब उत्तराखण्ड का पानी और जवानी दोनों का सदुपयोग होगा। इसके लिए जो कार्ययोजना तैयार की गई है उससे हजारों हाथों को काम मिलेगा। आगामी 3 वर्ष में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी बूटियों की स्थापना इस कार्ययोजना का मुख्य लक्ष्य है।

मान्यवर, हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों का अपार खजाना है। उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में 10 पहाड़ी जनपद लगभग उद्योग शून्य हैं और मेरा निवेदन है कि ऐसे असिंचित एवं ऊबड़–खाबड़ जमीनों पर स्थानीय कृषकों को जड़ी–बूटी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इसके लिए किसानों की पारम्परिक खेती के उत्पाद के अनुपात में यदि उन्हें अल्पावधि हेतु आर्थिक सहायता मिलती है तो निश्चित रूप से छोटे–छोटे किसान भी अपनी असिंचित भूमि का प्रयोग कृषिकरण के लिए कर सकते हैं। मान्यवर, इसके साथ ही जड़ी–बूटी शोध संस्थान मुख्यालय मण्डल चमोली के प्रशासनिक भवन,

लेबोरेटरी की स्थापना, प्रसंस्करण केन्द्र, वैज्ञानिकों की नियुक्ति जैसी अवस्थापना सुविधाएं भी उपलब्ध करवाये जाने की दिशा में कार्ययोजना तैयार की जाये।

मान्यवर, इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत कई योजनाओं पर द्रुत गति से कार्य चल रहा है। तथा नई योजनाओं पर कार्य किये जाने का प्रस्ताव है जो कि एक सराहनीय प्रयास है। मान्यवर, मैं इसके तहत जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली की कुछ लघु विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का भी सुझाव रखूंगा।

कोटियाल सैंण, कुण्ड तिलवाड़ा, गोबिन्दघाट, पाण्डुकेश्वर, पाणमती आदि लघु जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण कर दिया जाये तो इससे स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चार धाम यात्रा को वर्ष भर खोलने की घोषणा कर के वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया है। चूंकि कुछ समय बाद बर्फ से सारी चोटियाँ आच्छादित हो जाती हैं और मार्ग भी जाम हो जाते हैं मेरा सुझाव है कि सरकार को इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। यात्रा के मार्ग को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वर्ष भर यात्रा स्थान सुगम हो सके। अतः यात्रा मार्गों के धार्मिक स्थानों को विकसित और भव्य बनाना चाहिए।

पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 22 से 24 फरवरी के मध्य मसूरी में एक विशाल पर्यटन एन्क्लेव का आयोजन किया गया था जिसमें देश विदेश के 100 से अधिक पर्यटन से सम्बन्धित संस्थाओं ने भाग लिया और 100 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है, पर्यटन के क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए जनपद चमोली से नीती मलारी दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारम्भ की जाये यहाँ से इस यात्रा का रास्ता बहुत ही सरल, सुलभ और सुरक्षित है, स्थानीय आधार पर एकत्र जानकारी के अनुसार दिल्ली से ऋषिकेश 268 कि0मी0, ऋषिकेश से जोशीमठ 253 कि0मी0, जोशीमठ से मलारी 61 कि0मी0 और मलारी से नीती 18 कि0मी0 है और नीती से गोटिंग होते हुए ङिगुम तथा कितपली से मानसरोवर कुल 168 कि0मी0 पैदल अर्थात दिल्ली से कुल 738 कि0मी0 है। इस तरह से यह रास्ता बहुत ही सरल और सुगम है, इस रास्ते से जाने पर हेमकुण्ड साहिब और बद्रीनाथ के भी दर्शन सुलभ हो जाते हैं।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए औली हिम क्रीड़ा स्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है राष्ट्रीय स्तर पर यह पहले ही विकसित हो चुका है। इसके अतिरिक्त इन मार्गों पर साधना कुटीरों की स्थापना और ध्यान योग केन्द्र खोलने के लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये गये हैं अभी 600 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का जो निर्माण कराये गये हैं, उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना चलाई गई है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, इस बजट प्रस्ताव के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो अशासकीय विद्यालय हमारे प्रदेश में हैं जो कि अनुरक्षण अनुदान सूची में आना चाहते हैं, क्योंकि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालय काफी दूर होते हैं और वहाँ की दूरी ऐसी दूरी होती है जिसे किलोमीटरों से अनुमानित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खड़ी चढ़ाई और उतराई यहाँ पर होती है, आज भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर 30–35 किलोमीटर में एक विद्यालय हैं तो ऐसे अशासकीय विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो जूनियर हाई स्कूल हैं उन्हें हाई स्कूल में उच्चीकरण किया जाना चाहिए और जो हाई स्कूल हैं उन्हें उच्चीकरण करके इण्टरमीडिएट बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शासकीय विद्यालयों के उच्चीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो जूनियर हाई स्कूल हैं उन्हें हाई स्कूल कर दिया जाये, जो हाई स्कूल हैं उन्हें इण्टरमीडिएट बना दिया जाये। अतः इन विद्यालयों में उच्चीकरण की प्रक्रिया जल्दी ही सुनिश्चित होनी चाहिए।

मान्यवर, आपने बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यहाँ पर जो माहौल है, उसमें सत्ता पक्ष यह महसूस करता है कि विपक्ष का काम तो विरोध करना ही है, जैसे कोई कानून बना हो कि विपक्ष को विरोध करना ही है। हम महसूस करते हैं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के प्रति विपक्ष का जो आदर और सम्मान है, वह शायद ही कभी किसी अन्य व्यक्ति के लिए रहा हो। सत्ता पक्ष को यह नहीं सोचना चाहिए कि विपक्ष सिर्फ हमारी नीतियों पर आक्षेप लगाने के लिए ही है। हमारे सम्मानित नेता सदन यहाँ पर बैठे हैं, दिल चाह रहा है कि ऐसे समय का सदुपयोग करते हुए बजट से सम्बन्धित कुछ ऐसी बातें माननीय नेता सदन के सामने रखूँ, जिनका आज सरकार के संज्ञान में आना अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी, काफी समय से यह महसूस किया जा रहा था, विशेष कर काशीपुर को जिला बनाने की माँग लम्बे अरसे से चली आ रही है, ऐसे में लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में 2–3 नये जिले बनायेंगे। चूँकि नये जिले बनाने में काफी पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह महसूस किया जा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में नये जिले बनाने के लिए पैसों का प्राविधान अवश्य करेंगे, जिससे नये जिले बनाये जा सकें। जिलों के साथ–साथ तहसीलों का भी गठन करना होगा, नये थानों का भी गठन करना होगा। हम यह सोच रहे थे कि यह सब बजट में प्राविधानित होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दिया। इसलिए मन में थोड़ी सी घुटन है। यह छोटा सा प्रदेश है, और यहाँ के लोगों की यही लालसा थी कि उन्हें नजदीक से देखा जाएगा। हर आदमी चाहता है कि सरकार तक उसकी बात पहुँचे,

मुख्यमंत्री तक उसकी पहचान बने और वह अपनी बात को दृढ़ता से रख सके। यह सब तभी संभव है, जब सरकार द्वारा प्रदेश को नजदीकी कैमरे द्वारा देखा जाएगा। जब हम उत्तर प्रदेश राज्य में थे तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति यह कल्पना तक नहीं कर पाता था कि वह सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर अपनी बात कहे। लेकिन आज हर किसी की यही तमन्ना है कि मुख्यमंत्री जी को पास जाकर देखें और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। माननीय तिवारी जी के समय में सभी लोग यह चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, यदि इनके समय में प्रदेश का विकास नहीं हुआ, तो यह कहना मुश्किल है कि फिर प्रदेश का विकास कितने समय बाद हो सकेगा।

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी यह न सोचें कि सारी बातें उनके ऊपर ही आती हैं। मैंने यह महसूस किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश की हालत बहुत खराब है। जिस गाँव में आज से 30 वर्ष पहले प्राइमरी स्कूल था और वहाँ पर चुनाव होते थे, वहीं पर आज भी चुनाव होते हैं और बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। आज उस स्कूल की इमारत बहुत खस्ताहाल है और छात्र अपने घरों से पुरानी फटी हुई बोरी लेकर आते हैं और उस पर बैठ कर पढ़ने को मजबूर हैं।

मान्यवर, हम और आप इस देहरादून के प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा को देख कर दिल खुश कर लेते हैं। आप सरकारी क्षेत्र के स्कूलों की हालत देखिए। वहाँ पर जाकर उन बच्चों का भला होने वाला नहीं है। जिस गाँव में प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ जूनियर हाई स्कूल नहीं है। ग्रामीणों की वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने बच्चों को दूर शहर में जा कर पढ़ायें। अच्छा होता कि यह प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूल हो जाता, वहाँ के बच्चे जूनियर हाई स्कूल कर लेते और जो जूनियर हाई स्कूल है वह हाई स्कूल हो जाता तो वहाँ के बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ लेते। माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए बजट बनाना होगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पावर कारपोरेशन है इसके लिए हमारे सपने हैं। हमारा दिल और दिमाग, जैसा कि हमारे तिवारी जी द्वारा कहा गया कि यह ऊर्जा प्रदेश बने। इसमें कोई शक नहीं है, यह एक ऐसा प्रदेश बन सकता है जिससे कि यह अन्य प्रदेशों को बिजली सप्लाई कर सके। जितने पावर के रिसोर्सेज वाला हमारा प्रदेश है वैसा अन्य कोई प्रदेश नहीं है। पावर तो हम बना लेंगे परन्तु सोचना यह है कि इसका उपयोग कैसे होगा। आज जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिछा हुआ है उसकी लाइफ कम हो चुकी है। मैंने गाँवों में जाकर देखा है, केबिल जमीन को छू रहे हैं, आप इसे देहरादून में बैठकर नहीं देख सकते हैं। देहातों में जाकर देखें कि बिजली की सप्लाई क्या है। 40 मीटर का क्षेत्रफल लिया जाता है अगर मौके पर जाते हैं तो देखते हैं कि दो सौ से ढाई सौ मीटर तक केबिल लगे हुए हैं। मान्यवर, बिजली के नेटवर्क को बदलने के लिए हमारे बजट में व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि इस बजट में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ जल भराव की समस्या है, सीवरेज सिस्टम नहीं है। जो वहाँ पर रह रहे हैं वह सही मायने में नर्क की स्थिति में रह रहे हैं। उनके बच्चे वहीं पर बाथरूम जाते हैं। मुहल्लों की स्थिति नर्क की बनी हुई है। इसकी

जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सीवरेज सिस्टम और जल भराव तथा विद्युत वितरण की व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर पायेंगे तो उत्तरांचल बनने का क्या फायदा। मान्यवर, इसके लिए बजट में प्राविधान कर पैसा लगाया जाय, जिससे शहरी क्षेत्र के लोग समझें की उत्तरांचल बना है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वह चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केन्द्र में उद्योग मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। मान्यवर, वह क्षेत्र तिवारी जी का क्षेत्र था उस क्षेत्र में अगर छोटी सी भी पुलिया बनती थी तो उसका उद्घाटन तिवारी जी करते थे। अगर कोई बड़ा पुल बनता था तो वह पूछते थे कि इसका उद्घाटन करने कब आ जायें।

मान्यवर, हम किसी भी सड़क पर चले जाते थे तो हमें इस बात का गर्व होता था कि जो भी सड़क पुलिया या फैक्ट्री वहाँ पर लगी है तो माननीय तिवारी जी की वजह से लगी है। मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने बहुत कुछ किया है इसमें दो राय नहीं वे विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। इसे कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कुछ बना हुआ है उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और आगे किस तरह से विकास हो। हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करने होंगे।

थोड़ा सा प्रकाश यहाँ के रोजगार के लिए भी मैं डाल रहा हूँ। वैसे नेता विपक्ष इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। फिर भी मैं रोजगार के सम्बन्ध में अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि रोजगार के मामले में हमारे प्रदेश की समस्या किस तरह की है। ग्रेज्यूएट और पोस्ट ग्रेज्यूएट बच्चों के रोजगार की उतनी चिन्ता नहीं है वह तो कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है। इन लोगों को देश के अन्य शहरों दिल्ली, बॉम्बे आदि शहरों में नौकरी मिल जाएगी और यदि वह बहुत पढ़ने लिखने में होशियार है उसका स्तर आई०ए०एस० जैसा है तो वह विदेशों में भी नौकरी पा सकता है। अमेरिका में भी उन लोगों की माँग है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या उनकी है जो पाँचवीं पास है या हाई स्कूल तथा इण्टर स्तर तक ही पढ़े हुए हैं। जब ये लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और उनका बायोडाटा देखा जाता है तो उस पर विचार ही नहीं किया जाता, तो मान्यवर, ऐसे बच्चों को हमें रोजगार देने के लिए कोई नीति बनानी होगी। स्थानीय रोजगार का सृजन करना होगा। स्थानीय उद्योग लगाकर हमें उन्हें रोजगार दे सकते हैं। वरना कल के आने वाले समय में यह नौजवान एक आतंकवादी का रूप ले सकते हैं। अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो यह स्थिति आ सकती है। मान्यवर, पुलिस की भर्ती हुई तथा पटवारियों की भर्ती हुई लेकिन वास्तव में उसमें जिसका हक था, उसको नौकरी नहीं मिली नौकरी सिर्फ उसको मिली जिसने शाम को जाकर दो लाख तीन लाख का सौदा कर लिया। यह वास्तविक स्थिति है मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय तिवारी जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि चाहे वह पटवारी भर्ती का मामला हो या पुलिस भर्ती का इनमें उचित अभ्यर्थी को सर्विस नहीं मिली है। मैं चाहता हूँ अब इसकी पुनरावृत्ति न हो। आज यहाँ पर

गन्ना मंत्री जी ने एक बात कही सहकारी और निगम क्षेत्र की जो मिलें हैं, उनके लिए 95 रुपये तथा प्राईवेट या निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों के लिए 80 रुपये कुंतल गन्ना की बात कही है। यह बड़े दुःख की बात है, भाव एक समान होना चाहिए। मान्यवर, कहीं ऐसा न हो इस विषय पर किसानों में आक्रोश व्याप्त न हो जाय। मान्यवर, आज के परिप्रेक्ष्य में जो धन आप द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिया जा रहा है मैं समझता हूँ कि उसका आधा पैसा भी उन योजनाओं पर लग जाय तो बहुत अच्छा है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिये हर जगह यही हो रहा है। सरकार द्वारा योजनाओं के प्रति दिया गया धन मौके पर 50 प्रतिशत भी नहीं लग रहा है। कोई किसी का नाम नहीं ले रहा है।

मान्यवर, एक या दो दिनों में औद्योगिक नीति आ जायेगी लेकिन बजट में इस चीज का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि औद्योगिक नीति को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ न कुछ राहत तो देनी होगी, जो राहत सरकार देगी उसकी भरपाई कहाँ से होगी ऐसा प्राविधान बजट में नहीं है। मान्यवर, हो सकता है यह मेरे देखने में न आया हो, मैंने अभी पूरी तरह से बजट भाषण का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक मैंने इसको देखने की कोशिश की यह मुझे नहीं दिखी है। मान्यवर, आज जो सबसे बड़ी समस्या है, वह भूमि प्रबन्धन की है। 100 में से 99 समस्याएं इसी से सम्बन्धित हैं इसका समाधान एक ही है, वह है चकबन्दी से पहले बन्दोबस्त किया जाय।

मान्यवर, जो किसान 25-30 साल से है और अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो वह बेघर हो जाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जो 40 साल में तब्दीलियाँ हुई हैं, जब तक कि रेवेन्यू के अभिलेखों में अंकित न हो जाए, तब तक चकबंदी नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मुझे आशा है कि सरकार इन बिन्दुओं पर काम करेगी। मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अजय भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्री मदन कौशिक, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री बलबीर सिंह नेगी तथा श्री प्रकाश पन्त की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जोशीमठ में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट की दी गयी सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के आवेदनकर्ताओं द्वारा समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात् भी फ्री-होल्ड न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत की दी गयी सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

टिहरी गढ़वाल में दिनांक 29 मई, 2003 को घनसाली–अमोड़ी मोटर मार्ग पर बस दुर्घटना पर श्री बलबीर सिंह नेगी, मा० सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

[दिनांक 29–5–2003 को बस संख्या यू०पी० 08–2250 की घनसाली–अमोड़ी मोटर मार्ग पर एक दुर्घटना हुई थी। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र दिनांक 30 मई, 2003 द्वारा शासन को सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसमें दो व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना दी गई थी और 61 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना दी गई थी। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दुर्घटना की मैजिस्ट्रेट जाँच हेतु परगना मैजिस्ट्रेट घनसाली को नामित किया गया है। उनके द्वारा दूरभाष पर यह अवगत कराया गया है कि जाँच आख्या एक–दो दिन के अन्दर प्राप्त हो जायेगी। दुर्घटना में मारे गये दो व्यक्तियों के आश्रितों को 20–20 हजार रुपये की सहायता राशि कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत आहरित कर जिला मैजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल ने दिनांक 12–6–2003 को तहसीलदार घनसाली को बैंक ड्राफ्ट संख्या 802815 दिनांक 12–6–2003 द्वारा मृतक के आश्रितों को प्रदान करने हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त सहायता देने के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 में दुर्घटना में मारे जाने अथवा घायल व्यक्तियों को सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु रु० 55.00 लाख का प्राविधान किया गया है।]

मा० सदस्य श्री अजय भट्ट द्वारा राज्य में मान्यता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा० शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[उत्तरांचल राज्य में अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने हेतु जूनियर हाई स्कूलों के 57 तथा हाई स्कूलों के 19 विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों का वित्तीय आंकलन किया गया था। जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिए जाने हेतु प्रति विद्यालय रु० 6.55 लाख की दर से कुल रु० 373.35 लाख प्रति वर्ष तथा 19 हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिए जाने हेतु प्रति विद्यालय रु० 11.80 लाख की दर से कुल रु० 224.20 लाख प्रति वर्ष का व्यय भार निहित है। इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों पर कुल वार्षिक व्यय भार रु० 597.55 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा।

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत प्रस्ताव पर निर्णय अभी नहीं लिया जा सका है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर मंगलवार 17–06–2003/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

देहरादून :

दिनांक : 16 जून, 2003

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 विधान सभा/257–01–10–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।